लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रपत्र

अधिप्रमाणित

रक्षा राज्यमंत्री

Papers to be laid on the table of Lok Sabha / Rajya Sabha

AUTHENTICATED

RAKSHA RAJYA MANTRI

भूतपूर्व मुख्य कार्यपालक
FORMER CHIEF EXECUTIVES

क्र. सं. Sl. No.	नाम Name	अवधि Period से From	 तक To
1.	एअर वाइस मार्शल एस जे दस्तूर (नि.) Air Vice Marshal SJ Dastur (Retd)	22-09-1970	10-04-1974
2.	ब्रिगेडियर जे पी एंथोनी (नि.) Brig J P Anthony (Retd)	11-04-1974	31- 08-1977
3.	विंग कमांडर वी एम चितले (नि.) Wg Cdr V M Chitale (Retd)	01-09-1977	30-09-1980
4.	श्री ज़ेड पी मार्शल Shri Z P Marshall	01-10-1980	07-11-1988
5.	एअर कमाडोर आर गोपालस्वामी, अविसेमे, विसेमे (नि.) Air Cmde R Gopalaswami, AVSM, VSM (Retd)	08-11-1988	30-06-1994
6.	कमाडोर एस राव, विसेमे (नि.) Cmde S Rao, VSM (Retd)	01-07-1994	08-01-2000
7.	श्री एस गोविन्दराजन Shri S Govindarajan	09-01-2000	31-08-2000
8.	श्री वी वी गंगाधर राव Shri V V Gangadhara Rao	01-09-2000	30-06-2002
9.	मेजर जनरल पी मोहनदास, विसेमे (नि.) Maj Gen P Mohandas, VSM (Retd)	24-07-2002	27-04-2005
10.	मेजर जनरल राजनीश गोसाईं (नि.) Maj Gen Raajnish Gossain (Retd)	28-04-2005	30-04-2008
11.	कमाडोर पी के सामंता, विसेमे (नि.) Cmde P K Samanta, VSM (Retd)	01-05-2008	30-06-2008
12.	मेजर जनरल रवि खेतरपाल, विसेमे (नि.) Maj Gen Ravi Khetarpal, VSM (Retd)	01-07-2008	31-03-2012

लेखापरीक्षा समिति

प्रोफेसर आर के मिश्र, अध्यक्ष
श्री के एल मेहरोत्रा, सदस्य
श्री ए के कपूर, सदस्य
श्री एम लक्ष्मीनारायण, सचिव

प्रधान कार्यपालकगण

श्री एम ईश्वर, आईटीएस
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री पी माधव राव
अधिशासी निदेशक (सैम)

श्री एल धनंजय
अधिशासी निदेशक (डी अण्ड ई)

डॉ. एन के राजू
अधिशासी निदेशक (का. एवं प्रशा.)

श्री ईमनि कृष्ण
महाप्रबंधक (एस डब्ल्यू)
(31अगस्त 2012 तक)

श्री बी शिव राम प्रसाद
महाप्रबंधक (विपणन एवं संव्यवहार विकास)

श्री पी आर वी प्रसाद
महाप्रबंधक (भानूर इकाई)

श्री पी के दिवाकरन
महाप्रबंधक (उत्पादन)-भानूर इकाई

श्री आर बालकृष्णन
महाप्रबंधक (सीसी एवं सीपी)

श्री ई एस मोहन रेड्डी
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री वी उदय भास्कर
महाप्रबंधक (इनवार)

श्री जी जयराम रेड्डी
महाप्रबंधक (आकाश - जीएस एवं पीएमजी)

श्री पी नरसिंग राव
महाप्रबंधक (आकाश मिसाइल)

श्री अशोक अपसिंगीकर
महाप्रबंधक (निगम - गुणता नियंत्रण)

श्री के लक्ष्मीराजम
महाप्रबंधक (अन्य परियोजनाएं)

AUDIT COMMITTEE

PROF RK MISHRA, Chairman
SHRI KL MEHROTRA, Member
SHRI AK KAPOOR, Member
SHRI M LAKSHMI NARAYANA, Secretary

PRINCIPAL EXECUTIVES

SHRI M ESHWAR, ITS
Chief Vigilance Officer

SHRI P MADHAVA RAO
Executive Director (SAM)

SHRI L DHANANJAYA
Executive Director (D&E)

DR NK RAJU
Executive Director (P & A)

SHRI EMANI KRISHNA
General Manager (SW)
(Upto 31 Aug 2012)

SHRI B SIVA RAMA PRASAD
General Manager (Marketing & BD)

SHRI PRV PRASAD
General Manager (BU)

SHRI PK DIVAKARAN
General Manager (Production)-BU

SHRI R BALAKRISHNAN
General Manager (CC & CP)

SHRI ES MOHAN REDDY
General Manager (Finance)

SHRI V UDAYA BHASKAR
General Manager (INVAR)

SHRI G JAI RAM REDDY
General Manager (Akash-GS & PMG)

SHRI P NARSINGA RAO
General Manager (Akash-Missiles)

SHRI ASHOK APSINGIKAR
General Manager (Corporate QC)

SHRI K LAXMI RAJAM
General Manager (OPs)

लेखापरीक्षक

मेसर्स डी वी रमण राव ॲण्ड कं.
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
हैदराबाद

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एम भास्कर राव अण्ड कं., चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
मेसर्स महेश, वीरेन्दर एवं श्रीराम, चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
मेसर्स राममूर्ति (एन) अण्ड कं., चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

कर परामर्शदाता

बंसल एवं दवे, चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स

विधि परामर्शदाता

श्री के श्रीनिवास मूर्ति

श्री पी नागेश्वरश्री

बैंकर्स

आन्ध्र बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
कार्पोरेशन बैंक
केनरा बैंक

पंजीकृत कार्यालय

कंचनबाग पोस्ट
हैदराबाद - 500 058
आन्ध्र प्रदेश, भारत
ईपीएबीएक्स 040-24587466 एवं 040-24587777
फैक्स 040-24340464

ई-मेल

bdlitd@ap.nic.in

वेबसाइट

http://bdl.ap.nic.in

AUDITORS

M/s. DV RAMANA RAO & CO.
Chartered Accountants
Hyderabad

INTERNAL AUDITORS

M/s. M BHASKARA RAO & CO., Chartered Accountants
M/s. MAHESH, VIRENDER & SRIRAM, Chartered Accountants
M/s. RAMAMOORTHY (N) & CO., Chartered Accountants

TAX CONSULTANTS

BANSAL & DAVE, Chartered Accountants

LEGAL ADVISORS

SHRI K SRINIVASA MURTHY

SHRI P NAGESWARASREE

BANKERS

ANDHRA BANK
STATE BANK OF INDIA
CORPORATION BANK
CANARA BANK

REGISTERED OFFICE

KANCHANBAGH POST
HYDERABAD – 500 058
ANDHRA PRADESH, INDIA
EPABX 040-24587466 & 040-24587777
FAX 040-24340464

E-MAIL

bdlitd@ap.nic.in

WEBSITE

http://bdl.ap.nic.in

दस वर्षों पर दृष्टिपात
TEN YEARS AT A GLANCE

विवरण Particulars	इकाई Units	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बिक्री Sales	₹ करोड़ ₹ Cr.	277.72	524.80	450.98	531.53	433.51	454.38	464.82	627.23	939.16	959.12
निर्माणाधीन कार्य/संव्यवहाराधीन भण्डार में परिवर्तन Changes in WIP/SIT	₹ करोड़ ₹ Cr.	52.66	(2.33)	14.81	2.75	(47.67)	51.47	58.24	4.38	(28.18)	33.82
उत्पादन मूल्य Value of Production	₹ करोड़ ₹ Cr.	330.38	522.47	465.79	534.28	385.84	505.85	523.06	631.61	910.98	992.94
सामग्री की खपत Material Consumption	₹ करोड़ ₹ Cr.	186.36	333.51	313.47	329.01	239.89	351.99	364.84	438.01	580.14	633.53
परिवर्द्धित मूल्य Value Added	₹ करोड़ ₹ Cr.	144.02	188.96	152.32	205.27	145.95	153.86	158.22	193.60	330.84	359.41
कर-पूर्व लाभ Profit Before Tax	₹ करोड़ ₹ Cr.	102.05	79.24	52.28	118.81	50.80	72.49	74.23	50.63	79.17	348.19
कराधान के बाद लाभ Profit After Tax	₹ करोड़ ₹ Cr.	64.53	50.56	30.66	76.72	32.74	47.65	47.67	33.77	51.70	234.96
ईक्विटी Equity	₹ करोड़ ₹ Cr.	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि Reserves & Surplus	₹ करोड़ ₹ Cr.	278.17	302.78	307.22	357.79	363.62	384.37	405.13	412.08	437.05	617.38
सकल निरुद्ध (पूंजीगत नि.का. छोड़कर) Gross Block(Excl.Cap.WIP)	₹ करोड़ ₹ Cr.	315.69	325.11	330.28	333.51	359.09*	376.49	403.42	461.20	488.08	604.24
सामग्री-सूची Inventory	₹ करोड़ ₹ Cr.	342.92	358.27	384.62	454.53	338.92	434.25	623.11	570.26	502.19	602.57
विविध देनदार Sundry Debtors	₹ करोड़ ₹ Cr.	5.05	14.93	24.17	13.87	19.51	21.54	8.95	33.58	45.15	88.39
कार्यगत पूँजी Working Capital	₹ करोड़ ₹ Cr.	301.29	312.20	316.21	361.94	371.79	384.96	404.86	360.44	370.66#	458.97
नियोजित पूँजी Capital Employed	₹ करोड़ ₹ Cr.	386.04	395.86	396.03	437.84	458.15*	478.59	508.81	503.66	502.34	633.28
निवल मालियत Net Worth	₹ करोड़ ₹ Cr.	384.08	398.66	407.99	457.09	470.86*	495.55	519.93	526.88	551.85	732.19
कर्मचारियों की संख्या Number of Employees	संख्या Nos.	3120	2917	2909	2814	2742	2715	2788	2894	2897	2869
कर्मचारी पर लागत Employee Costs	₹ करोड़ ₹ Cr.	81.69	80.74	81.99	84.71	94.71	149.63	151.16	178.84	234.53	240.32
पारिश्रमिक प्रति ₹ पर परिवर्द्धित मूल्य Value Added per ₹ of Wage	₹	1.76	2.34	1.86	2.42	1.54	1.03	1.05	1.08	1.41	1.50
परिवर्द्धित मूल्य प्रति कर्मचारी Value Added per Employee	₹ लाख ₹ Lakh	4.62	6.48	5.24	7.29	5.32	5.67	5.67	6.69	11.42	12.53
प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) Earnings per Share (EPS)	₹	561	440	267	667	285	414	415	294	450	2043

* 2006-07 की स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची का पुनर्समूहन के कारण वर्ष 2007-08 में पुनर्व्यवस्थीकरण किया गया. # संशोधित अनुसूची VI के अनुरूप परिशोधित.

* Re-adjusted due to regrouping of Fixed Assets Schedule of 2006-07 in the year 2007-08. # Modified as per revised schedule VI.

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निदेशक मंडल	2
2.	अध्यक्ष की कलम से	3
3.	सूचना	6
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	8
5.	लेखा-नीति	38
6.	तुलन-पत्र	44
7.	लाभ-हानि लेखा	45
8.	वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ	46
9.	नक़दी आवागमन का विवरण	60
10.	लेखापरीक्षक रिपोर्ट	61
11.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	63
12.	सांविधिक लेखापरीक्षकों के निरीक्षण तथा कंपनी द्वारा समाधान	66
13.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	67

निदेशक मंडल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एस एन मंथा
(दि.01 अप्रैल 12 से)

सरकारी निदेशक

श्री पी के मिश्र
संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली), रक्षा उत्पादन विभाग
रक्षा मंत्रालय (दि.27 अप्रैल 11 से)

श्री आर जी विश्वनाथन
अपर आर्थिक सलाहकार (आर अण्ड डी) तथा संयुक्त सचिव
रक्षा मंत्रालय (दि.15 जून 11 से)

स्वतंत्र निदेशक

प्रो. आर के मिश्र
वरिष्ठ प्रोफेसर एवं निदेशक, आई पी ई

श्री के एल मेहरोत्रा
भूतपूर्व सीएमडी, मेंगनीज़ ओर (इं.) लि.

श्री ए के कपूर
विशिष्ट वैज्ञानिक, डी आर डी ओ
(दि. 16 फरवरी 12 से)

पूर्ण कालिक निदेशक

एअर वाईस मार्शल पी के श्रीवास्तव
विसेमे (नि.)
निदेशक (उत्पादन)

श्री एस वी सुब्बा राव
निदेशक (वित्त)
(दि. 01 जुलाई 11 से)

स्थायी विशेष आमंत्रित

वाईस एडमिरल आर के धोवन
पविसेमे, अविसेमे, युसेमे
नौसेना उपाध्यक्ष (पदेन)
(दि. 01 सितंबर 11 से)

ले. जनरल नरेंद्र सिंह
सेमे, विसेमे
थल सेना उपाध्यक्ष (पी अण्ड एस) (पदेन)
(दि. 01 अक्तूबर 11 से)

एअर मार्शल डी सी कुमारिया
पविसेमे, अविसेमे, विमे, विसेमे, एडीसी
वायुसेना उपाध्यक्ष (पदेन)
(दि. 01 जून 12 से)

श्री ए के चक्रबर्ती
निदेशक, डीआरडीएल
डीआरडीओ द्वारा नामित
(दि. 17 अगस्त 12 से)

कंपनी सचिव

श्री एम लक्ष्मीनारायण

भूतपूर्व निदेशक / स्थायी विशेष आमंत्रित

मेजर जनरल रवि खेतरपाल
विसेमे (नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(दि. 31 मार्च 12 तक)

श्री पी वेणुगोपालन
उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं निदेशक, डी आर डी एल
(डी आर डी ओ द्वारा नामित)
(दि. 31 मार्च 12 तक)

एअर मार्शल के के नोहवार
पविसेमे, विमे, एडीसी
वायुसेना उपाध्यक्ष (पदेन)
(दि. 01 अगस्त 11 से 31 मई 12 तक)

वाईस एडमिरल डी के दिवान
अविसेमे
नौसेना उपाध्यक्ष (पदेन)
(31 अगस्त 11 तक)

ले. जनरल जे पी सिंह
अविसेमे
थल सेना उपाध्यक्ष (पी अण्ड एस) (पदेन)
(30 सितंबर 11 तक)

अध्यक्ष की कलम से

प्रिय सदस्य,

मुझे, पिछले वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की उपलब्धियों और इसकी भावी योजनाओं की जानकारी देते हुए खुशी हो रही है.

पिछले वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन

आपकी कंपनी ने वर्ष 2010-11 के ₹939.16 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 के लिए ₹959.12 करोड़ का बिक्री कारोबार हासिल किया है जिससे पिछले वर्ष के कारोबार की तुलना में अल्प वृद्धि हुई. वर्ष 2011-12 के लिए बिक्री मूल्य ₹959.12 करोड़ तथा उत्पादन मूल्य ₹992.94 करोड़ रहा. कंपनी की कुल स्थाई परिसंपत्तियाँ (विशेष औजार एवं उपकरण सहित) ₹604.24 करोड़ की रहीं जो वर्ष 2010-11 की तुलना में ₹116 करोड़ अधिक है.

आपके निदेशकों ने ₹115.00 करोड़ की प्रदत्त पूँजी पर 40.87% की दर से ₹47.0005 करोड़ का लाभांश भुगतान करने की सहर्ष सिफारिश की.

कंपनी उत्पाद विकास, क्षमता निर्माण, विस्तार एवं मानव संसाधन विकास पर निरंतर ध्यान दे रही है.

कंपनी ने वर्ष 2012-13 के लिए भारत सरकार के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख हस्ताक्षरित किए हैं तथा वर्ष 2011-12 के लिए उद्यम को "उत्कृष्ट" दर्जा मिलने की संभावना है.

लागत में कमी

कांकूर्स-एम ए टी जी एम, इन्वार ए टी जी एम तथा मिलान-2टी जैसे उत्पादों का क्रमशः 90%, 80%, एवं 71% देशीकरण हुआ है. संभावित क्षेत्रों में ई-रिवर्स ऑक्शन लागू किया गया जिससे अधिक प्रतियोगी कीमत तथा सामग्री लागत में कमी पायी गयी. कंपनी बेहतरीन उत्पादन के लिए आधुनिकीकरण एवं देशीकरण को बढ़ावा देते हुए उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि लाने के लिए प्रयासरत है.

ग्राहकों के साथ नियमित संपर्क

सेनाओं से प्राप्त माँग पत्रों की आपूर्ति-स्थिति तथा उनकी प्रगति का अनुवीक्षण करने बीडीएल एवं प्रयोगकर्ताओं के बीच आवधिक बैठकें बुलायी जाती हैं. आवश्यकतानुसार, अनुबंध ज्ञापन प्रलेख के अनुरक्षण के अंतर्गत बैठकें बुलायी जाती हैं. सशस्त्र सेनाओं के लिए सामग्री आपूर्ति करते समय कंपनी पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखती है.

दि. 03 अप्रैल, 2012 को बीडीएल के अपने दौरे के दौरान सीएमडी तथा निदेशकों के साथ बातचीत करते हुए वायुसेना उपाध्यक्ष एअर मार्शल के के नोहवार पविसेमे, विसेमे, एडीसी

विक्रेता विकास

विभिन्न परियोजनाओं के लिए विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि लाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है तद्द्वारा सामग्री लागत में उल्लेखनीय कमी की अपेक्षा की जाती है. आवश्यकतानुसार, विक्रेता बैठकें आयोजित की जाती हैं. कंपनी, देशीय घटकों के विकास एवं उत्पादन के लिए विक्रेताओं को टूल्स, जिग्स, फिक्चर्स के विकास तथा विनिर्माण प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण देने में सहयोग दे रही है. ई-खरीदी लागू की गई है तथा आदेशों का ब्यौरा कंपनी की वेबसाईट पर दर्शाया जा रहा है.

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व

एक जिम्मेदार नैगमिक नागरिक होने के नाते, बीडीएल स्टेकहोल्डर्स की मूल्य-वृद्धि को ही अपना संव्यवहार मानती है. प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व को एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है. कंपनी आरंभ से ही अपनी ओर से सक्रिय रहते हुए अपने विभिन्न प्रभागों में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियाँ चला रही है. इन गतिविधियों के अंतर्गत गाँवों को अपना कर सामजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेय जल जैसी मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं.

कंपनी, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए सभी तरह से प्रयास कर रही है और अपने प्रयासों के प्रति प्रतिबद्ध है.

निगम अभिशासन

कंपनी में पेशेवार रुख तथा जवाबदेही तय करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था कायम है.

सार्वजनिक उद्यमों के लिए डी पी ई, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार निगम अभिशासन की रिपोर्ट तथा कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा दिया गया अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र निदेशक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है. (अनुलग्नक - III एवं IV)

निगम अभिशासन के संबंध में त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट डी पी ई दिशानिर्देशानुसार निर्धारित फॉर्मेट में रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित की जा रही है.

कंपनियों के कुल सचिव (आरओसी) / नैगमिक कार्य मंत्रालय के साथ ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग

कंपनी एमसीए-21 रेजीम का पालन करती है. कंपनी अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन कंपनी के सभी प्रकार के फॉर्म तथा रिटर्न डिजीटल हस्ताक्षर सहित ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा फाइल किये जाते हैं. कंपनी का सी आई एन नंबर है - U24292AP1970GOI001353.

एकता समझौता का कार्यान्वयन

ठेकेदार तथा विक्रेता से होने वाले लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड के समस्तर रहने के लिए बीडीएल ने एकता समझौता कार्यक्रम बनाया. दि. 13 अप्रैल 2010 को मुख्य सतर्कता आयोग द्वारा

आई ई एम के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद ले. जनरल अरविंद महाजन पविसेमे, अविसेमे, विसेमे एवं बार (नि.) तथा डॉ.अशोक नारायण आई ए एस (नि.) ने एकता समझौता कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया तथा 01 नवंबर, 2011 से इसे कार्यान्वित कर नियमित रूप से इसका अनुवीक्षण भी कर रहे हैं. ₹10.00 करोड़ तथा उससे ऊपर के आरंभिक मूल्य के सिविल कार्य, ₹5.00 करोड़ या उससे ऊपर के आरंभिक मूल्य के कैपिटल आईटम, ₹2.00 करोड़ या उससे ऊपर के आरंभिक मूल्य के सेवा ठेके, ₹20.00 करोड़ या उससे ऊपर के आरंभिक मूल्य के उत्पादन वस्तु के ठेके के लिए दिये जाने वाले सभी निविदा कंपनी के "एकता समझौता" के अंतर्गत आते हैं.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन कर रही है. इस अधिनियम के तहत आवेदकों द्वारा माँगी गई हर प्रकार की जानकारी आर टी आई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप दी जाती है.

नई उत्पादन सुविधाएँ

कंपनी की नई परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए अमरावती, महराष्ट्र तथा इब्राहिमपट्टणम, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में भूमि-अधिग्रहण का कार्य जारी है.

निष्कर्ष

मैं, हमारे ग्राहक, संव्यवहार सहभागियों तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विशेषकर रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग व रक्षा सेवाओं सहित तीनों सेनाओं के द्वारा दिये गये सहयोग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ. अमूल्य परामर्श और सहयोग के लिए मैं कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स डी वी रमण राव अण्ड कंपनी तथा वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक और लेखापरीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. हमारे अधिकारी और कर्मचारियों की हर स्तर पर प्रतिबद्धता व समर्पण इस कंपनी की ताकत रही है. प्रबंधन के प्रत्येक क्षेत्र में सलाह व सहयोग के लिए मैं निदेशक मंडल के अपने साथियों को धन्यवाद देता हूँ. हमें इसे और भी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए ताकि भविष्य की चुनौतियों और विकास की गति को बनाये रखा जा सकें. अंत में, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी कंपनी भविष्य की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है तथा इसकी दृष्टि सकारात्मक और भविष्य उज्ज्वल होगा.

शुभकामनाओं सहित,

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 29 अगस्त 2012

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सूचना

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय
कंचनबाग पोस्ट
हैदराबाद - 500 058

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि **भारत डायनामिक्स लिमिटेड** की 42वीं वार्षिक महासभा सोमवार दिनांक 24 सितंबर, 2012 को अपराह्न 15.30 बजे निम्नांकित कार्य संव्यवहृत करने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, कंचनबाग, हैदराबाद - 500 058 में होगी :

<u>सामान्य संव्यवहार</u>

(1) 31 मार्च 2012 के तुलन-पत्र तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खातों व नक़दी प्राप्ति विवरण और निदेशकों की तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार कर, स्वीकृत करना.

(2) ईक्विटी शेयरों पर यदि कोई लाभांश हो तो, घोषित करना.

<u>विशेष संव्यवहार</u>

(3) कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का लेखा परीक्षा शुल्क बढ़ाने पर विचार कर अनुमोदन देना तथा इस संबंध में विचार करते हुए उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्न संकल्प सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 224 (8) (एए) के प्रावधानों के अनुसरण में सांविधिक लेखापरीक्षकों का लेखापरीक्षा शुल्क एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रतिवर्ष ₹2,00,000/- से बढ़ा कर ₹3,50,000/-किया जाए.

निदेशक मंडल के आदेश से,

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 30 अगस्त 2012

(एम लक्ष्मीनारायण)
कंपनी सचिव

टिप्पणी : (i) इस सभा में उपस्थित रहने तथा मतदान करने के लिए अहूर्य सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित रहने तथा मतदान करने के लिए किसी परोक्षी को नियुक्त करने के लिए अहूर्य हैं और ऐसे परोक्षी इस कंपनी के सदस्य हो, यह जरूरी नहीं है.

(ii) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 173 (2) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरणिका की मद संख्या (3) के संशोधन तथा सांविधिक लेखापरीक्षाओं का लेखापरीक्षा शुल्क बढ़ाने की मद संख्या (4) के संबंध में स्पष्टीकरण विवरण संलग्न है.

सूचना का संलग्नक

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 173 (2) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण :

मद सं. (3)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा मेसर्स डी वी रमण राव अण्ड कं., चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट को वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए लेखापरीक्षा शुल्क ₹2,00,000/- पर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था. कार्यभार बढ़ने, स्थापना शुल्क की बढोत्तरी तथा भारत के चार्टर्ड अकाउंटंट्स संस्था द्वारा संस्तुत न्यूनतम शुल्क को ध्यान में रखते हुए सांविधिक लेखा परीक्षकों ने लेखापरीक्षा शुल्क ₹5,75,000/- करने का अनुरोध किया है.

कंपनी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति ने दि. 24 मार्च 2012 को संपन्न अपनी 36वीं बैठक तथा दि. 04 मई, 2012 को संपन्न कंपनी के निदेशक मंडल की 203वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2011-12 से सांविधिक लेखापरीक्षकों का शुल्क ₹2,00,000/- से ₹3,50,000/- करने की सिफारिश की. इसके लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224 (8) (एए) के प्रावधानों के तहत शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है.

कंपनी के निदेशक, शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करते हैं.

कंपनी के किसी भी निदेशक का इस संकल्प में कोई स्वार्थ नहीं है.

****

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए इस उद्यम के लेखा परीक्षित लेखे के साथ 42वाँ वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है.

2 परिचालन के मुख्य अंश

2.1 कंपनी ने वर्ष 2010-11 के ₹939.16 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 में ₹959.12 करोड़ का बिक्री पण्यावर्त हासिल किया है जो पिछले वर्ष के पण्यावर्त से थोड़ा अधिक है.

2.2 वर्ष 2011-12 के लिए बिक्री मूल्य ₹959.12 करोड़ तथा उत्पादन मूल्य ₹ 992.94 करोड़ रहा है.

2.3 वर्ष 2011-12 के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियाँ :

ए) कंपनी ने ए टी जी एम के लिए ₹643.21 करोड़ का पण्यावर्त हासिल किया.

बी) आकाश सैम का पण्यावर्त ₹149.25 करोड़ है.

सी) सी-303 तथा अन्य से प्राप्त पण्यावर्त ₹166.66 करोड़ है.

3 कार्य-निष्पादन

3.1 वित्तीय मामलों में कंपनी के कार्य-निष्पादन का सार इस प्रकार है :

विवरण	₹ करोड़ में		% वृद्धि /
	2011-12	2010-11	(अपवृद्धि)
बिक्री मूल्य	959.12	939.16	2%
उत्पादन मूल्य	992.94	910.98	9%
कराधान पूर्व लाभ	348.19	79.17	340%
कराधान बाद लाभ	234.96	51.70	354%
मूल्य-वर्द्धन	359.41	330.84	9%

3.2 निम्नांकित विवरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित है :

विवरण	₹ करोड़ में		% वृद्धि /
	2011-12	2010-11	(अपवृद्धि)
सकल निरुद्ध	604.24	488.08	24%
मूल्यह्रास प्रारक्षण	392.57	346.95	13%
निवल निरुद्ध	211.67	141.13	50%
कार्यगत पूँजी	458.97	370.66	24%
नियोजित पूँजी	633.28	502.34	26%
निवल मालियत	732.19	551.85	33%

4 लाभांश एवं सामान्य प्रारक्षण में अंतरण

आपके निदेशकों ने ₹115.00 करोड़ की प्रदत्त पूँजी पर 40.87% की दर से ₹47.0005 करोड़ लाभांश के भुगतान की सहर्ष सिफारिश की है. निदेशक-गण यह भी सिफारिश करता है कि ₹180.00 करोड़ की राशि सामान्य प्रारक्षण (जनरल रिज़र्व) में अंतरित की जाए.

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए माननीय रक्षा मंत्री श्री ए के अंटनी को लाभांश चेक भेंट करते हुए सी एम डी एवं निदेशक (वित्त). इस अवसर पर सचिव (रक्षा उत्पादन) श्री शेखर अग्रवाल तथा संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) श्री पी के मिश्र भी उपस्थित थे.

5 वित्त

उद्यम की कुल प्रदत्त पूँजी 115.00 करोड़ रुपये रही. कुल स्थायी परिसंपत्तियाँ (विशेष औज़ार और उपकरण सहित) 604.24 करोड़ रुपये की रहीं जो वर्ष 2010-11 की तुलना में ₹116.16 करोड़ अधिक है.

दि. 30 जून, 2012 को संपन्न आई पी ई बी एफ एस आई पुरस्कार समारोह के दौरान 'एचीवर्स अण्ड लीडर्स अवार्ड (वित्त)' प्राप्त करते हुए निदेशक (वित्त) श्री एस वी सुब्बाराव.

6 अनुबंध ज्ञापन प्रलेख की दृष्टि से कार्य-निष्पादन

वर्ष 2010-11 में आपके उद्यम ने कार्य-निष्पादन में "बहुत अच्छा" दर्जा प्राप्त किया. वर्ष 2011-12 के लिए "उत्कृष्ट" दर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है.

7 लागत में कमी

7.1 संभावित क्षेत्रों में ई-रिवर्स ऑक्शन लागू किया गया जिससे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक कीमतें तथा सामग्री लागत में कमी पायी गयी.

7.2 विभिन्न परियोजनाओं के लिए विक्रेताओं की संख्या बढ़ाने सतत प्रयास जारी हैं तद्वारा सामग्री लागत में कमी की उम्मीद की जाती है.

7.3 दीर्घावधि अर्थात् अधिवर्षिता तक मानव-शक्ति लागत में कमी लाने के लिए जहां तक संभव हो भर्तियाँ अस्थायी तौर पर की जाती हैं.

7.4 ऊर्जा ऑडिट के अंतर्गत ऊर्जा बचत उपकरण प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे विद्युत शुल्क में कमी आयी.

8 मितव्ययता

कच्चे माल की उपलब्धता, जारी कार्य तथा अतिरिक्त पुर्जे इष्टतम स्तर पर बनाये रखे गये हैं. ऊर्जा की खपत, चल एवं अचल ऊपरी व्यय तथा आकस्मिक व्यय की निरंतर समीक्षा कर न्यूनतम रखा गया है.

9 आधुनिकीकरण एवं उन्नयन

9.1 ए टी जी एम तथा अन्य उत्पादों की क्षमताएँ बढ़ाई जा रही हैं. अमरावती, महराष्ट्र तथा इब्राहिमपट्टणम, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में नई इकाइयों का निर्माण-कार्य जारी है. साथ ही, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और संयंत्र व मशीनरी का आधुनिकीकरण/उन्नयन जारी है.

दि. 17 मई 2012 को अपने बीडीएल दौरे के दौरान सीएमडी तथा निदेशक (उत्पादन) से बातचीत करते हुए मेजर जनरल एस सी जैन विसेमे, कमांडर, एचक्यू टेक जीपी ईएमई, आईएचक्यू (सेना), रक्षा मंत्रालय.

9.2 ई-प्रोक्यूरमेंट तथा ई-रिक्रूटमेंट कार्यान्वित किये जाने से संगठन को बहुत लाभ हुआ. संगठन की अगले वर्ष इस दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर प्रयास कर और अधिक लाभ प्राप्त करने की योजना है. वर्ष 2012-14 के दौरान सभी प्रभागों में उद्यम

संसाधन योजना (ई आर पी) के कार्यान्वयन का प्रस्ताव रखा गया है.

9.3 बदल रही आवश्यकताओं के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी का उन्नयन किया गया. सुरक्षा के संबंध में वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न तरह के खतरे रोकने के लिए आधुनिकीकरण की सतत योजना है.

10 विदेशी मुद्रा : अर्जन तथा व्यय

वर्ष के दौरान ₹ 0.11 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी तथा ₹419.44 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ.

11 प्रदर्शनियाँ

बीडीएल ने वर्ष 2011-12 के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भाग लिया :

- दि.14 से 27 नवंबर, 2011 तक नई दिल्ली में आयोजित - **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला**
- दि. 14 से 19 फरवरी, 2012 तक चंगी एग्जीबशिन सेंटर, सिंगापुर में आयोजित **सिंगापर एअर शो - 2012**
- दि. 02 से 04 मार्च, 2012 तक बेंगलूरु में आयोजित **एमएसएमई डेफेक्स्पो-2012 प्रदर्शनी**
- दि. 29 मार्च से 01 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित डेफेक्स्पो-2012

डेफेक्सो-12 के दौरान माननीय रक्षा मंत्री श्री ए के अंटनी का बी डी एल स्टॉल में स्वागत करते हुए निदेशक-गण

डेफेक्स्पो-2012 के दौरान वाईस अडमिरल आर के धोवन पविसेमे, अविसेमे, यूसेमे, नौसेना उपाध्यक्ष का बीडीएल स्टॉल में स्वागत करते हुए सीएमडी तथा निदेशक-गण

दि. 11-15 जून 2012 को पैरीस, फ्रांस के एरोसटरी 2012 प्रदर्शनी में बीडीएल स्टॉल के दौरे के दौरान श्री ए के एंटोने बोवियर, सीईओ, एमबीडीएल तथा जनरल मेकॅइल पेट्रे, निदेशक, एस ए एम, एमबीडीए को जानकारी देते हुए बीडीएल के निदेशक (उत्पादन)

12 निदेशक मंडल

12.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल की आठ बैठकें हुईं तथा वर्ष 2010-11 की वार्षिक आम सभा दि. 19 सितंबर, 2011 को संपन्न हुई.

12.2 दि. 16 फरवरी, 2012 से डी आर डी ओ के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक श्री ए के कपूर अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किए गए. 31 मार्च, 2012 को अधिवर्षिता प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त सी एम डी मेजर जनरल रवि खेतरपाल, वि से मे (नि.) के स्थान पर दि. 01 अप्रैल, 2012 से श्री एस एन मंथा, निदेशक (तकनीकी) कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए.

12.3 निदेशक (तकनीकी) पद की भर्ती-प्रक्रिया जारी है.

13 मानव संसाधन विकास

परस्पर अकादमिक व शोधपरक कार्य के उद्देश्य से दि. 29 फरवरी 2012 को बीडीएल ने बिट्स-पिलानी के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किये. अ.ज्ञा.प्र. दस्तावेज के साथ बीडीएल के अधिशासी निदेशक डॉ.एन के राजू तथा बिट्स-पिलानी के कुलपति प्रो. बिजेन्द्रनाथ जैन.

13.1 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अपने आंतरिक प्रणाली प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान (आई एस टी एम) के माध्यम से उद्यम के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए कौशल/ज्ञान/अभिवृत्ति विकास संबंधी विभिन्न आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये.

13.2 कुल 343 अधिकारी, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परक, तकनीकी विकास, प्रबंधन कौशल विकास, गुणता, प्रबंधन तथा ई-प्रोक्यूरमेंट जैसे विभिन्न विषयों पर आंतरिक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किए गए.

दि. 29-30 जून 2012 को मेंटरशिप कौशल हासिल करने दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए डॉ. शैलेश ठाकर, प्रबंधन चिंतक तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त प्रबंधन गुरु आमंत्रित किये गये.

13.3 तकनीकी एवं गैर-तकनीकी क्षेत्र के कुल 463 कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों को आंतरिक कार्यक्रमों द्वारा सामान्य विकास, पर्यावरण, मिसाइल तकनोलॉजी, कंप्यूटर इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया.

13.4 वित्त, गुणता नियंत्रण, उत्पादन, अनुरक्षण एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के 237 अधिकारी बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किए गए.

13.5 कार्यपालकेतर वर्ग के 154 कर्मचारी बीडीएल से बाहर के कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किए गए. उन्होंने गुणता नियंत्रण, उत्पादन, अनुरक्षण, वित्त, सी एन सी तथा विनिर्माण प्रक्रिया आदि विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त किया.

13.6 आंतरिक व बाहृय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारी एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्त में मंत्रालय के साथ अनुबंधन ज्ञापन प्रलेख के अनुरूप अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया.

13.7 अनुबंध ज्ञापन प्रलेख 2011-12 के अनुसार लक्ष्य तथा उपलब्धियों के आंकड़े निम्नवत हैं :

(कर्मचारियों की संख्या)

विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि
बाहृय प्रशिक्षण अल्पसंख्यक	22	41
बाहृय प्रशिक्षण अन्य	198	350
आंतरिक प्रशिक्षण अल्पसंख्यक	65	77
आंतरिक प्रशिक्षण अन्य	585	729
कुल	870	1197

दि. 17 सितंबर 2012 को विश्व मानव विकास संसाधन कांग्रेस द्वारा आयोजित विश्व मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार 2012 में डॉ. एन के राजू, अधिशासी निदेशक (का. एवं प्रशा.) को "इन्नोवेटिव एच आर प्रैक्टीसेस अवार्ड" से समानित किया गया.

14 औद्योगिक संबंध एवं कर्मचारी कल्याण

14.1 वर्ष के दौरान समता और मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखने में सभी वर्ग के कर्मचारियों तथा मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों व अन्य ट्रेड यूनियन और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग जैसी संस्थाओं तथा अधिकारी संगठन का लगातार सहयोग व समर्थन मिलता रहा. कार्यकारी समिति तथा शॉप व संयंत्र स्तर की समिति जैसी सांविधिक समितियों ने शॉप फ्लोर क्षेत्रों में अनुशासन का आश्वासन दिया है.

14.2 कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए कैरियर प्लॉन का संशोधन किया गया तथा मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये और वर्ष के दौरान कार्यान्वित भी किया गया.

14.3 सांविधिक कल्याण प्रावधानों का अनुपालन ध्यानपूर्वक किया जा रहा है. कंपनी वर्ष के दौरान विद्यालय शुल्क-प्रतिपूर्ति, कैण्टीन भत्ता, यूनिफार्म, शू जैसी गैर-सांविधिक कल्याण सुविधाएँ उपलब्ध कराती रही. कंपनी, बीडीएल चिकित्सा नियमों के तहत कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की चिकित्सा जरूरतों का ध्यान रख रही है. सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनके पति / उनकी पत्नी की चिकित्सा-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा बीमा योजना (रेमी) प्रवृत है.

14.4 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुमत यूनियन निर्धारित करने क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त (सी), हैदराबाद द्वारा दि. 11 फरवरी, 2012 को वेरीफिकेशन इलेक्शन आयोजित किया गया. सी आई टी यू का अनुबंध यूनियन भारत डायनामिक्स एंप्लाईस यूनियन (बीडीयूए) को बहुमत प्राप्त हुआ.

15 निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण (डीआरएस)

1956 में संशोधित कंपनी अधिनियम की धारा 217 (2एए) के अनुसार निदेशकों का कथन है कि :

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू लेखा मानकों का अनुसरण निर्गत सामग्री के उचित स्पष्टीकरण सहित किया गया है तथा इससे हटकर कुछ भी नहीं है.

(ii) चयित लेखानीति का पालन नियमित रूप से किया गया है तथा इस आधार पर लिये गये निर्णय एवं प्राक्कलन उचित हैं. इनसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के वास्तविक और स्पष्ट कार्य-पद्धति दृष्टिगोचर होती है तथा 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ-हानि भी परिलक्षित होती है.

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 के संशोधनों के प्रावधानानुसार लेखा अभिलेखों के उचित तथा पर्याप्त रखरखाव में सावधानी बरती गयी है ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा तथा धोका-धड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचाया जा सके.

(iv) वार्षिक लेखे चालू संबद्ध आधारों पर तैयार किये गये हैं.

16 विदेशी यात्रा

वर्ष के दौरान कंपनी ने कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा संव्यवहार यात्राओं के संबंध में विदेशी यात्राओं पर ₹14.02 लाख खर्च किये.

17 संरक्षा

दि. 04-11 मार्च 2012 के दौरान बी डी एल में 41वाँ राष्ट्रीय संरक्षा दिवस समारोह मनाया गया

विश्व संरक्षा दिवस 2012 के अवसर पर
दि. 28 अप्रैल 2012 को बीडीएल, भानूर समूह का संरक्षा विंग विश्व संरक्षा दिवस शील्ड से सम्मानित.

बीडीएल में संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण बनाये रखा गया है. कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो निगम-समितियाँ, औद्योगिक संरक्षा समिति जो सांविधिक है और विस्फोटक संरक्षा समिति कार्यरत हैं. सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण नियंत्रित करने के लिए नियमित अंतराल पर संरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं. विस्फोटक सुरक्षा के लिए उद्योग अधिनियम 1948 का अनुपालन करते हुए तथा एस टी ई सी (विस्फोटक का भण्डारण एवं परिवहन समिति) विनियमों का कड़ा पालन करते हुए कार्य किये जाते हैं. जोख़िम भरे क्षेत्रों में काम करनेवाले कर्मचारियों के लिए योग्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षा करवायी जाती है. सी एफ ई ई एस, नई दिल्ली से आकाश प्रक्रिया भवन एवं मैगजीन के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है और निर्माण कार्य जारी है. इब्राहिमपट्टणम इकाई में मिसाइल टेस्ट बेड (एम टी बी) की स्थापना के लिए प्रबंधन का अनुमोदन प्राप्त किया गया है. कर्मचारियों में संरक्षा-भावना जागरूक करने तथा सुरक्षित कार्य-परिसर बनाने के लिए मानव संसाधन विकास द्वारा राष्ट्रीय संरक्षा परिषद, मुंबई, केंद्रीय श्रमिक संस्थान, मुंबई, क्षेत्रीय श्रमिक संस्थान, चेन्नई तथा अग्नि, विस्फोटक एवं पर्यावरण संरक्षा केंद्र, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं. मार्च माह में उत्साह से संरक्षा सप्ताह/माह मनाया जाता है. संरक्षा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएँ तथा कार्यक्रम आयोजित कर संरक्षा में कर्मचारियों की रुचि बढ़ाने के लिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं. अनुपालन किये जानेवाले दिशा-निर्देश अद्यतन करने के लिए संरक्षा विभाग फैक्ट्री निरीक्षक (आं.प्र), आंध्रप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सी एफ ई ई एस, नई दिल्ली से निरंतर संपर्क बनाए रखता है. अग्नि-शमन की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए फायर के मॉक ड्रिल भी आयोजित किये जाते हैं.

18 सुरक्षा

18.1 कमांडेण्ट के एकीकृत कमांड के अधीन कंचनबाग तथा भानूर, दोनों जगह सुरक्षा तथा अग्नि की रोकथाम व्यवस्था के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात है. संयंत्र एवं मशीनरी की कड़ी सुरक्षा के लिए नियमित रूप से प्रबंधन और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा समीक्षा की जाती है. स्थानीय पुलिस तथा सिविल प्राधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें की जाती हैं तथा कंपनी इस वर्ष के दौरान अपराध-मुक्त रही.

18.2 सुरक्षा सप्ताह/फायर सप्ताह मनाने के अलावा सुरक्षा जागरूकता पर नियमित कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं. कर्मचारियों को समय-समय पर होने वाले

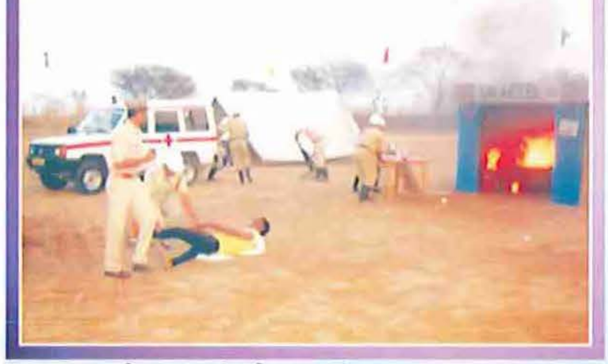

दि. 14-20 अप्रैल 2012 के दौरान राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह मनाया गया. कर्मचारियों में अग्नि संरक्षा संबंधी जानकारी बढ़ाने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा एक मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया.

सुरक्षा खतरों एवं आग लगने पर ली जानेवाली सावधानियों से आगाह करवाया जाता है. कंपनी की सुरक्षा आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करने के लिए आई बी के दिशा-निर्देश कार्यान्वित किये जाते हैं.

18.3 सुरक्षा चौकसी के लिए कंप्यूटर फोटो-पास, सी सी टी वी कैमेरे, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है. प्रत्यक्ष सुरक्षा उपायों के बेहतर नियंत्रण के लिए सुरक्षा बैरिकेड, बूम बैरियर, मोर्चे आदि का प्रावधान किया गया है. अप्राधिकृत प्रवेश रोकने, प्रवेश एवं निकास के लिए बायोमेट्रिक एक्सस कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है. सी सी टीवी चौकसी के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र लाने के प्रयास जारी हैं.

19 कुल मानव शक्ति तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए पदों में आरक्षण

19.1 कंपनी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदों में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति निदेशों का पालन कर रही है.

19.2 31 मार्च, 2012 तक कंपनी में कार्यरत कार्मिकों की संख्या 2869 है जो पिछले वर्ष की तुलना में 28 कम है. कुल कर्मचारियों में से 95 भूतपूर्व सैनिक, 516 अनुसूचित जाति तथा 176 अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं. कर्मचारी वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमश: 18.83% और 5.02% है जबकि अधिकारी वर्ग में यह प्रतिशत क्रमश: 15.79% और 9.15% है.

19.3 31 मार्च 2012 तक अस्थायी तौर पर ग्रुप सी में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या 273 है. इनमें से 67 अनुसूचित जाति के, 19 अनुसूचित जनजाति के हैं तथा 3 भूतपूर्व सैनिक हैं.

19.4 31 मार्च, 2012 तक कंपनी की विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार रहा :

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या					
	कुल संख्या		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	31 मार्च 11	31 मार्च 12	31 मार्च 11	31 मार्च 12	31 मार्च 11	31 मार्च 12
ग्रुप-ए	511	570	83	95	50	56
ग्रुप-बी	147	228	19	31	13	17
ग्रुप-सी	1885	1724	324	299	96	83
	245*	273*	60*	67*	18*	19*
ग्रुप-डी	354	347	92	91	21	21
कुल	**3142**	**3142**	**578**	**583**	**198**	**196**

* अस्थायी तौर पर नियुक्त

19.5 वर्ष 2011-12 के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की भर्ती निम्न प्रकार रही :

(कर्मचारियों की संख्या)

पदों का वर्गीकरण	कुल विमोचित रिक्तियाँ	कुल भर्ती	पदों का आरक्षण (कालम 2 में से)		वर्ष 2010-11 में की गयी भर्ती	
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्रुप-ए	30	30	06	01	06	01
ग्रुप-बी	45	45	07	02	07	02
ग्रुप-सी	-	-	-	-	-	-
	32*	32*	8*	1*	8*	1*
ग्रुप-डी	1	1	01	--	01	--
कुल	**108**	**108**	**22**	**4**	**22**	**4**

* अस्थायी तौर पर नियुक्त

20 महिलाओं का नियोजन

रक्षा मंत्रालय के दि.27 अगस्त, 1999 के पत्र सं.39 (6)/99/डी (बी एण्ड सी) द्वारा दिए निर्देशानुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के वार्षिक विवरण 1995-96 की संख्या 51 के परिच्छेद (ii) (ए) की सिफारिशों के अनुसार महिला नियोजन की स्थिति (प्रतिशत) निम्नप्रकार है -

I. कार्यपालक :

ग्रेड	कुल	महिलाएँ	प्रतिशत
I	228	37	16.22%
II	114	13	11.40%
III	61	10	16.39%
IV	92	12	13.04%
V	144	7	4.86%
VI	108	0	0%
VII	35	1	2.85%
VIII	9	0	0%
IX	3	0	0%
अनुसूची "सी"	3	0	0%
अनुसूची "बी"	1	0	0%
कुल	**798**	**80**	**10.02%**

II. कार्यपालकेतर :

ग्रेड	कुल	महिलाएँ	प्रतिशत
ग्रुप-1	124	15	12.09%
ग्रुप-2	244	39	15.98%
	155*	11*	
ग्रुप-3	141	29	20.56%
ग्रुप-4	189	32	16.93%
	118**	21**	
ग्रुप-5	48	8	16.66%
ग्रुप-6	142	8	5.63%
ग्रुप-7	28	1	3.57%
ग्रुप-8	65	3	4.61%
ग्रुप-9	215	12	5.58%
ग्रुप-10	158	23	14.55%
ग्रुप-11	717	46	6.41%
कुल	**2344**	**248**	**10.58%**

* 155 कर्मचारी अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए. (11 महिला कर्मचारी सहित)

** 118 कर्मचारी अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए. (21 महिला कर्मचारी सहित)

दि. 20 जुलाई 2012 को बीडीएल में 'विप्स' (वुमन इन पब्लिक सेक्टार) दक्षिण क्षेत्र की आयोजित पहली बैठक.

21 विकलांग कर्मचारी

हमारे उद्यम में 16 अपंग कार्यपालक तथा 72 अपंग कार्यपालकेतर कर्मचारी हैं. साथ ही, 16 अपंग कर्मचारी अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए. अपंग कर्मचारियों का कुल प्रतिशत 3.31% (अस्थायी कर्मचारियों को मिलाकर) है.

22 कर्मचारी विवरण

कंपनी (कर्मचारी विवरण) नियमावली 1975 के साथ पाठ्य कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2-ए) के अनुसार आवश्यक कर्मचारियों की जानकारी इस रिपोर्ट (अनुलग्नक-I) के साथ संलग्न है.

23 पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण

कंपनी हरा-भरा वातावरण बनाए रखते हुए पर्यावरण के सभी पहलुओं की दृष्टि से लगातार सुधार कर रही है. कंपनी में हरा-भरा माहोल बनाये रखे जाने से पर्यावरण में सभी दृष्टियों से लगातार बेहतरीन हो रही है. अशुद्ध जल को शुद्ध कर अपशेष प्रबंधन, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, फूल लगने वाले वृक्ष तथा बागवानी की गई.

24 प्रौद्योगिकी संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास

कंपनी में ऊर्जा संरक्षण पर लगातार ध्यान रखा जा रहा है. ऊर्जा संरक्षण के लिए अपनाए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं -

(i) आईआईपीई (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंजीनियर्स) जैसी व्यवसायिक एजंसी द्वारा कंचनबाग में ऊर्जा ऑडिट

(ii) वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान ऑडिट संस्तुतियां कार्यान्वित

(iii) पॉवर फैक्टर को 0.96 तक बढ़ाने विभिन्न सब-स्टेशन में ऑटोमेटिक पॉवर फैक्टर कंट्रोल पैनल की व्यवस्था.

(iv) वर्ष 2011-12 के दौरान कंचनबाग में सोलार स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था.

(v) भानूर इकाई की कैण्टीन में इलेक्ट्रिक गीज़र की जगह सोलार वाटर हीटर की व्यवस्था.

(vi) विशाखापट्टणम इकाई में संभावित तौर पर दिसंबर, 2012 तक शुरू होनेवाली कैण्टीन के लिए सोलार वाटर हीटर तथा सोलार कुकिंग सिस्टम की व्यवस्था.

(vii) तीसरी पीढ़ी के प्रक्षेपास्त्र और एस आर सैम उत्पादन के लिए बनने वाली नई इकाइयों/प्रभागों में सोलार वाटर हीटिंग और सोलार कुकिंग की व्यवस्था.

(viii) ऊर्जा और पानी की बचत के लिए परंपरागत रेसीप्रोकेशन वाटर कूल्ड एयर कंप्रेसर की जगह स्क्रू टाइप कंप्रेसर का प्रतिष्ठापन.

25 गुणता

25.1 कंपनी ने अपने सभी उत्पादों की उच्च गुणता के लिए प्राथमिकता दी है. बीडीएल के उत्पादों में एकल प्रयुक्त (सिंगल शॉट डिवाईस) प्रकृति के उत्पाद भी शामिल हैं. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंपनी ने सभी प्रमुख उत्पादन प्रभागों में आइएसओ 9001 स्तर के अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू कर रखे हैं.

25.2 कंपनी के एम एन आर, भानूर, सीपी-आईजीएमपी, डी अण्ड ई, आई टी डी, ई डी जैसे छः प्रभागों का आई एस ओ 9001 के वर्तमान स्तर का प्रमाणन किया गया है. सतह से हवा में मार करनेवाली मिसाइल का उत्पादन करनेवाला एक और प्रमुख प्रभाग आकाश के आई एस ओ प्रमाणन की योजना है. इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और अगले साल तक यह प्रमाणन प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है.

25.3 आई एस ओ प्रमाणन को ज़ारी रखने आई एस ओ 9001 गुणता आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने उपर्युक्त सभी प्रभागों की प्रमाणन निकायों द्वारा नियमित रूप से निगरानी ऑडिट की जाती है. गुणता के क्षेत्र में कंपनी की संकल्पबद्धता के परिणामस्वरूप अस्वीकार्यता और पुनःकार्य कम हुए, उत्पादों की गुणता और सेवाओं में वृद्धि हुई व ग्राहक संतुष्टि में बढ़ोत्तरी हुई है.

25.4 आई एस ओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) : इस संदर्भ में बीडीएल ने अपने दोनों इकाई - कंचनबाग तथा भानूर के लिए आई एस ओ 14001 (ई एम एस) प्रमाणन प्राप्त करने का निर्णय लिया है. संप्रति तैयारी गतिविधियों पर कार्रवाई की जा रही है और निकट भविष्य में आई एस ओ 14001 प्रमाणन प्राप्त किया जाएगा.

26 निर्यात

बीडीएल ने वर्ष 2011-12 के दौरान कोई भी निर्यात आदेश कार्यान्वित नहीं किया है.

27 भावी योजना

लगभग ₹19,000 करोड़ के प्राप्त कार्य-आदेशों से कंपनी की स्थिति सुदृढ़ है.

28 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने सभी प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों तथा प्रणालियों के वित्तीय औचित्य के सभी मापदण्डों को बेहतर बनाने की व्यवस्था की है. बाह्य लेखापरीक्षक फर्म को इनकी पर्याप्तता तथा रिपोर्ट को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया है. बीडीएल के आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग तथा आन्तरिक लेखा फर्म की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण लेखापरीक्षक समिति के समक्ष समीक्षा एवं सलाह के लिए प्रस्तुत किया गया. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की समीक्षा कर रिपोर्ट दी गई है. सरकारी कंपनी होने के नाते बीडीएल के लिए सरकारी लेखा परीक्षा आवश्यक है.

29 हिंदी का प्रयोग

29.1 राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित 1967) और इनके अंतर्गत बनाए गए राजभाषा नियमों का समुचित रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है. सीएमडी तथा निदेशकों की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं. राजभाषा के प्रयोग से संबंधित त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें संबंधित प्राधिकारी को समय पर भेजी जा रही हैं.

29.2 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की बैठकों में सीएमडी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से भाग लेते हैं. बड़े उपक्रमों की श्रेणी में बीडीएल को उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2010-11 के लिए प्रथम श्रेणी की राजभाषा शील्ड लगातार 10वीं बार दी गई है.

वर्ष 2010-11 के दौरान उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए बीडीएल को टॉलिक राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया. बीडीएल को यह पुरस्कार लगातार 10वीं बार प्राप्त हुआ.

29.3 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मई, 2011 से भारत डायनामिक्स लिमिटेड को हैदराबाद-सिकंदराबाद की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उ) का मुख्यालय बनाया गया है. बीडीएल के सीएमडी इस समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) सदस्य सचिव नामित किए गए.

29.4 सचिव (राजभाषा), भारत सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है. हिंदी के प्रयोग में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने कार्मिकों के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

30. राष्ट्रपति निर्देश का कार्यान्वयन

कंपनी को डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी किये गये बोर्ड स्तर तथा उससे नीचे के अधिकारियों के लिए संशोधित वेतनमान संबंधी संस्वीकृत राष्ट्रपति निर्देश सं.एच-62030/1/0227 - डी (बीडीएल), दि.27 अप्रैल, 2009 प्राप्त हुए. तदनुसार, राष्ट्रपति के दिशा-निर्देशन का अनुपालन करते हुए कंपनी ने संशोधित वेतनमान लागू किए हैं.

31. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व

31.1 डी पी ई दिशा-निर्देशानुसार, कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी नीति लागू है. कंपनी में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आनेवाली परियोजनाओं के अनुवीक्षण के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तर की एक समिति गठित की गई. कंपनी ने, सी एस आर के अंतर्गत कई सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया.

31.2 बीडीएल द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों तथा विक्रेता विकास संबंधी विषयों पर तीन व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए.

31.3 कंपनी ने भारत सरकार का संगठन एम एस एम ई - डी आई (माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम - विकास संस्थान) के सहयोग से दि. 08 से 30 दिसंबर, 2011 तक दो व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, यथा - शिक्षा संबंधी "कंप्यूटर हार्डवेयर" और विक्रेता विकास संबंधी "सोलार पॉवर तकनोलॉजी" आयोजित किए. सफल प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए.

दि. 08-10 दिसंबर 2011 के दौरान हैदराबाद में एम एस एम ई डेवेलपमेंट इंस्टीट्यूट, भारत सरकार के सहयोग 'विक्रेता विकास' विषय पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित.

31.4 कंपनी ने दि. 19-21 दिसंबर, 2011 तक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सेंट जॉन्स अंबुलेंस असोसिएशन के सहयोग से स्वास्थ्य से संबंधित "प्राथमिक उपचार" विषय पर एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया. सफल प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए.

दि. 19-21 दिसंबर 2011 के दौरान हैदराबाद में सेंट जॉन्स अंबुलेंस असोसिएशन के सहयोग से स्वास्थ्य विषयक गतिविधियों (प्राथमिक उपचार) पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित.

31.5 कंपनी ने दिनांक 14 नवंबर, 2011 को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेस (टी आई एस एस), एन सी एस आर हब के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किए. टी आई एस एस ने बेस लाइन सर्वे कर दि. 13 फरवरी, 2012 को इंटरवेन्शन के संभाव्य क्षेत्रों की जानकारी दी. दि. 21 फरवरी 2012 को बेस लाईन रिपोर्ट का मसौदा तथा दि. 21 मार्च, 2012 को उसकी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. टी आई एस एस की बेस लाइन सर्वे द्वारा दिए गए इंटरवेन्शन के आधार पर परियोजनाओं का चयन किया गया. दि. 1 मार्च, 2012 को सहमति माँगते हुए टी आई एस एस को सूचना दी गई तथा उसी दिन टी आई एस एस की ओर से स्वीकृति प्राप्त की गयी.

31.6 परियोजना तथा उसके लिए चयित एन जी ओ का विवरण निम्न प्रकार है. सड़क के संबंध में एन जी ओ का चयन अभी बाकी है.

क्र.सं.	परियोजना	एन जी ओ
1	स्वच्छता-कम लागत के शौचालय	ए एफ पी आर ओ - टी आई एस एस के साथ
2	स्वास्थ्य रक्षा - मोबाइल चिकित्सा इकाई	हेल्प एज इंडिया - टी आई एस एस के साथ
3	पानी-पेयजल	नांदी फाउण्डेशन - टी आई एस एस के साथ
4	मध्याह्न भोजन	अक्षयपात्रा फाउण्डेशन (टी ए पी एफ) टी आई एस एस के साथ
5	सड़क	प्रांतीय ठेकेदार (डीपीई दिशा निर्देशों के तहत)

32. सतर्कता

32.1 दि.31 अक्तूबर से 05 नवंबर, 2011 तक बीडीएल की सभी इकाइयों में सतर्कता जागरूकता अवधि बड़े उत्साह के साथ मनायी गयी. सी एम डी द्वारा निगम कार्यालय में दिलाई गई प्रतिज्ञा दोनों इकाईयों में सीधे प्रसारित की गई. सतर्कता के विभिन्न संदर्भों पर व्याख्यान देने श्री एच के दोरा, आई पी एस (निवृत्त), भूतपूर्व सर्तकता आयुक्त; श्री पी शरत कुमार, चार्टर्ड आकउण्टेण्ट एवं प्रमुख वक्ता; श्री पी गोपाल कृष्ण, आई ए एस (नि.) तथा श्री वाई आर के रेड्डी, संस्थापक एवं अध्यक्ष, नैगमिक अभिशासन अकादमी आमंत्रित किये गये.

दि. 31 अक्तूबर से 05 नवंबर 2011 तक मनाये गये सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का उद्‌घाटन करते हुए श्री एच जे दोरा, आई पी एस (नि.). इस अवसर पर उपस्थित सीएमडी, निदेशक (उत्पादन) व मुख्य सतर्कता अधिकारी.

32.2 कंपनी ने सतर्कता-सुझाओं के आधार पर भर्ती, तैनाती निर्दिष्ट तौर पर अंतर-इकाई व आपसी के संबंध में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, मेडिकल वी आर एस, खरीदी इत्यादि के संबंध में वर्तमान प्रणाली का परिवर्धन किया.

32.3 ई-खरीदी के संबंध में मानक पद्धतियां तैयार की गयीं और विक्रेताओं के लिए निविदा-प्रक्रिया विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए. यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि ई-खरीदी प्रक्रिया में भाग लेने वाले बिड्डर के लिए सर्वीस प्रोवाइडर द्वारा हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाती है.

32.4 सुझाया गया कि सेवानिवृत्त अधिकारियों की ठेके पर पुनःनियुक्त के लिए उचित आधार अपनाया जाए तथा इस संबंध में एक नीति बनायी जाए.

32.5 रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार बीडीएल भानूर इकाई में भूमि विस्थापित लोगों की भर्ती से संबंधित रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय तथा मुख्य सतर्कता आयोग को अग्रेषित की गई. विशाखापट्टणम, इब्राहिमपट्टणम तथा अमरावती इकाईयों में आने वाली परियोजनाओं के लिए एल डी पी की भर्ती के संबंध में अपनाये गये निवारण उपाय तथा वर्तमान प्रणाली में किए गए उचित परिवर्तन की जानकारी इस रिपोर्ट में शामिल है.

32.6 मुख्य सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशानुसार यह सुझाया गया कि कंपनी में प्रभावी फाइल संचलन के लिए "इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रैकिंग सिस्टम" अपनायी जाए.

32.7 प्रबंधन को सुझाया गया कि एकीकृत सामग्री प्रबंधन (आई एम एम) डॉटा बेस तथा वित्त डॉटा बेस के बीच समन्वयन के लिए उचित एम आई एस साफ्टवेअर अपनाया जाए ताकि आपूर्तिकर्ताओं को बिलों के भुगतान करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली अपनायी जा सके. प्रबंधन द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है.

32.8 एक कर्मचारी के मेडिकल वी आर एस मामले में, एक वरिष्ठ कार्यपालक के प्रति कडी कार्रवाई करने तथा वर्तमान प्रणाली में उचित परिवर्तन लाने के संबंध में सुझाव देते हुए सी एम डी को सतर्कता टिप्पणियां अग्रेषित की गयीं. इस मामले में कर्मचारी उच्च न्यायालय में भी असफल हो गया और त्यागपत्र दे दिया, जिससे कंपनी को पर्याप्त बचत हुई. इस कार्रवाई से स्वास्थ्य आधार पर वी आर एस लेने के लिए सोचने वाले कर्मचारियों को कड़ा संदेश मिला.

33. लेखा-परीक्षा समिति

बेहतर नैगमिक अभिशासन के लिए एक लेखा-परीक्षा समिति का गठन किया गया था. लेखा-कार्य के

साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान पांच बैठकें बुलाई गयीं. गठन के विवरण, विचारार्थ विषय इत्यादि इस रिपोर्ट के साथ संलग्न नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक-III) में बताए जाते हैं.

34. सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणन

34.1 डी पी ई दिशा-निर्देशों की जरूरतों के अनुरूप सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है तथा लेखा-परीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

35. निगम अभिशासन

35.1 नैगमिक अभिशासन का अर्थ है उत्तम प्रबंधन का निर्वहन, कानून का अनुपालन और नैतिक मूल्यों का पालन करना ताकि कंपनी के प्रमुख उद्देश्य शेयर-धारकों की मूल्य-वृद्धि एवं सामाजिक दायित्व का निर्वाह हो सके.

35.2 कंपनी में पेशेवर रुख तथा जवाबदेही तय करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था कायम है.

35.3 सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के संबंध में डी पी ई द्वारा दि.14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (8)/2005-जीएम के तहत ज़ारी दिशा-निर्देशानुसार, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (अनुलग्नक-II) और नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट (अनुलग्नक-III), कंपनी में नैगमिक अभिशासन की स्थिति पर कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा दिया गया नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-IV) निदेशक रिपोर्ट के साथ संलग्न किये गये हैं.

35.4 निगम अभिशासन के त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित फार्मेट में रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित किया जा रहा है.

36. लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मेसर्स डी वी रमण राव एण्ड कंपनी, चार्टर्ड ॲकाउण्टण्ट्स, हैदराबाद को वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों के रूप में पुनः नियुक्त किया.

37. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन कंपनी के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की 31 मार्च, 2012 को समाप्त लेखाओं पर टिप्पणी इस रिपोर्ट के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न की गयी है.

38. आभार प्रदर्शन

38.1 निदेशक आपकी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान किये गये प्रयासों की प्रशंसा अपने अभिलेखों में अभिलिखित करते हैं. साथ ही, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, अन्य केन्द्रीय सरकारी विभाग और प्रयोगशालाओं तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य सरकार तथा अनुज्ञप्तिकर्ताओं के द्वारा समय-समय पर की गयी सहायता के लिए निदेशकगण आभार व्यक्त करते हैं.

38.2 निदेशक कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक मेसर्स डी वी रमण राव एण्ड कंपनी के प्रति तथा प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, हैदराबाद के प्रति उनके बहुमूल्य परामर्श और सहकार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं.

38.3 निदेशक मंडल, अधिवार्षिता की प्राप्ति पर सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मेजर जनरल रवि खेतरपाल, वि से मे (नि.) को अपने सेवा-काल के दौरान कंपनी को अमूल्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है.

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 29 अगस्त 2012

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 ए) के तहत कर्मचारियों के विवरण

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम/ कार्य-प्रकृति	आयु (वर्ष)	पूर्व अनुभव	शैक्षिक योग्यता	भर्ती तिथि	अनुभव (वर्ष)	सकल पारिश्रमिक (रु)
(ए) वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान वार्षिक ₹60,00,000/- से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण :								
- शून्य -								
(बी) वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान प्रति माह ₹5,00,000/- से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण :								
1	श्री एन विनोद कुमार	निदेशक (वित्त)	60	उप महाप्रबंधक (वित्त) मेसर्स प्रागा टूल्स लि.	बी.काम., एफ सी ए	16 दिसंबर, 1996	35	34,90,846

अनुलग्नक-II

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट

1. कंपनी की संरचना एवं विकास

1.1 सन् 1970 में स्थापित भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है. सशस्त्र सेनाओं के लिए आवश्यक अत्याधुनिक रक्षा उपकरण बनाना कंपनी का मुख्य उद्देश्य है.

1.2 विश्वविख्यात सहभागिकर्ताओं तथा डी आर डी ओ से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के अलावा कंपनी द्वारा आंतरिक अनुसंधान एवं विकास द्वारा नये उत्पाद भी विकसित किये जाते हैं.

1.3 कंपनी दूसरी एवं तीसरी पीढ़ी के टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण का प्रमुख उत्पादन अभिकरण है. सतह से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों की सभी श्रेणियों का प्रमुख उत्पादन अभिकरण है. कंपनी, कुछ सैम प्रणालियों में अग्रणी है. कंपनी, सशस्त्र सेना द्वारा प्रयुक्त विन्टेज प्रक्षेपास्त्रों का पुनर्सज्जीकरण कार्य भी करने जा रही है. आंतरिक अनुसंधान एवं विकास द्वारा विकसित उत्पाद के लिए व्यापक स्वीकृति मिल रही है तथा सशस्त्र सेना के सभी स्कंधों में इसे अपनाया जा रहा है.

1.4 31 मार्च, 2012 तक कंपनी के पास लगभग ₹19,000/- करोड़ रुपये के क्रय-आदेश हैं. कुछ ठेके से संबंधित बातचीत समाप्त हो गयी है. सौदे पूरे कर चुके ठेकों के प्राप्त होते ही इन आदेशों में और वृद्धि होने की संभावना है. कंपनी, भारतीय वायु सेना, नौसेना के लिए आवश्यक सतह से हवा में मार करने वाले लघु गति प्रक्षेपास्त्र के लिए एक बहुत बड़े संयुक्त विकास कार्यक्रम में भागीदार बन कर इस क्षेत्र में विकासमान है.

2. ताक़त एवं कमज़ोरियाँ

2.1 ताक़त

2.1.1 प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का ज्ञान रखनेवाली कुशल व प्रशिक्षित मानव-शक्ति

2.1.2 प्रक्षेपास्त्र एकीकरण एवं विनिर्माण में 40 वर्ष से अधिक का अनुभव

2.1.3 भूमि खरीदी गयी तथा आवश्यक इंफ्रास्ट्रकचर के साथ नयी उत्पादन व्यवस्था बनाने के लिए तैयार है.

2.1.4 डी आर डी ओ तथा अन्य प्रयोगशालाओं के साथ पहुँच

2.2 कमज़ोरियाँ

2.2.1 विक्रेताओं की कमी

2.2.2 दीर्घावधि डी आर डी ओ परियोजनाएँ

2.2.3 निर्यात पर प्रतिबंध

3. अवसर एवं खतरे

3.1 अवसर

3.1.1 सशस्त्र सेना के आधुनिकीकरण को प्रमुखता देना

3.1.2 रक्षा अधिग्रहणों में देशीकरण की भागीदारी बढ़ाने का भारत सरकार का लक्ष्य

3.2 खतरे

3.2.1 राष्ट्रीय क्षमता जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ शस्त्र प्रणालियों का वर्गीकरण "खरीद" वर्ग में किया गया.

3.2.2 प्रयोक्ता परीक्षण के बाद माँगपत्र नहीं देना

4. उत्पादवार कार्यनिष्पादन

4.1 प्रमुख उत्पादों का पण्यावर्त निम्न प्रकार है :

(₹ करोड़)

I)	कांकूर्स-एम एटीजीएम	87.77
II)	इन्वार एटीजीएम	287.06
III)	मिलान-2टी एटीजीएम	268.38
IV)	आकाश सैम	149.25
V)	सी-303 एण्टी टारपिडो डिकाय	54.00

5. परिदृश्य

उत्कृष्ट उपकरणों के साथ आधुनिकीकरण ही भारतीय सशस्त्र सेना का वर्तमान मंत्र है. इससे बीडीएल की संव्यवहार समर्थता में अपार वृद्धि हुई है. साथ ही, उन्नत एवं सम्मिश्र शस्त्र प्रणालियों का विनिमार्ण एवं आपूर्ति तथा गुणता एवं सुपुर्दगी के अनुवर्तन के लिए चुनौती भी दे रही है.

6. जोख़िम एवं चिंताएँ

i) डी आर डी ओ परियोजनाओं में लगने वाली दीर्घावधि

ii) अभिकल्पक द्वारा विकसित एकल स्रोत पर निर्भरता

iii) आदेशों की समय पूर्व समाप्ति

iv) निर्यात पर प्रतिबंध

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने सभी प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों तथा प्रणालियों के वित्तीय औचित्य के सभी मानदण्डों को बेहतर बनाने की व्यवस्था की है. इनकी पर्याप्तता तथा रिपोर्ट को सुनिश्चित करने के लिए बाहृय लेखा परीक्षक फर्म को नियुक्त किया गया है. बीडीएल के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग तथा आंतरिक लेखा फर्म की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण लेखा परीक्षक समिति के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया.

8. परिचालित कार्य-निष्पादन से संबंधित वित्तीय कार्य-निष्पादन पर चर्चा

8.1 वित्तीय मामलों में कंपनी के कार्य-निष्पादन का सार इस प्रकार है :

विवरण	₹ करोड़ में		% वृद्धि /
	2011-12	2010-11	(अपवृद्धि)
बिक्री मूल्य	959.12	939.16	2%
उत्पादन मूल्य	992.94	910.98	9%
कराधान पूर्व लाभ	348.19	79.17	340%
कराधान बाद लाभ	234.96	51.70	354%
मूल्यवर्द्धन	359.41	330.84	9%
प्रति कर्मचारी मूल्यवर्द्धन (₹ लाख)	12.53	11.42	10%

8.2 निम्नांकित विवरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित है :

विवरण	₹ करोड़ में		% वृद्धि /
	2011-12	2010-11	(अपवृद्धि)
सकल निरुद्ध	604.24	488.08	24%
मूल्य-ह्रास	392.57	346.95	13%
निवल निरुद्ध	211.67	141.13	50%
कार्यगत पूँजी	458.97	370.66	24%
नियोजित पूँजी	633.28	502.34	26%
निवल मालियत	732.19	551.85	33%

9. नियोजित कर्मचारियों सहित मानव संसाधन व औद्योगिक संबंध फ्रंट में विकास-कार्य

9.1.1 31 मार्च, 2012 तक बीडीएल की मानव-शक्ति निम्नवत् :

विवरण	कार्यपालकेतर	कार्यपालक	कुल
पुरुष	1855	718	2573
स्त्री	216	80	296
कुल	2071	798	2869
पिछले वर्ष	2239	658	2897

9.1.2 पी आर पी कार्यान्वित किया गया है. कार्यपालकेतर वर्ग के लिए केरियर प्लान का संशोधन किया गया तथा मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ समझौता ज्ञापन कर इसे कार्यान्वित भी किया गया.

9.2 औद्योगिक संबंध

9.2.1 वर्ष के दौरान समता एवं मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखने में सभी वर्ग के कर्मचारियों तथा मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों व अन्य ट्रेड यूनियन और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग जैसी संस्थाओं तथा अधिकारी संगठन का लगातार सहयोग व समर्थन मिलता रहा. पूरे वर्ष के दौरान कार्यशाला एवं संयंत्र स्तरीय समितियों तथा कार्यकारिणी समिति, संरक्षा समिति, कैण्टीन समिति तथा कल्याण समिति जैसी अन्य विधिक समितियों ने मिलजुल कर शॉप फ्लोर क्षेत्रों में कार्यस्थल अनुशासन सुनिश्चित किया.

9.2.2 सांविधिक कल्याण प्रावधानों का अनुपालन ध्यानपूर्वक किया जा रहा है. प्रबंधन, कर्मचारियों के प्रोत्साहन के लिए वर्ष के दौरान विद्यालय शुल्क-प्रतिपूर्ति, कैण्टीन भत्ता, वर्दी, जूते जैसी गैर-सांविधिक कल्याण सुविधाएँ प्रदान कर रहा है. कंपनी, बीडीएल चिकित्सा नियमों के तहत कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की चिकित्सा जरूरतों का ध्यान रख रही है. सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके परिजनों की चिकित्सा-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चिकित्सा बीमा योजना प्रवृत है.

10. पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरण ऊर्जा विकास, विदेशी-मुद्रा संरक्षण

10.1 पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण :

10.1.1 आपकी कंपनी की सभी इकाइयों में साफ-सुथरा तथा हरा-भरा माहोल बनाए रखा जा रहा है. साफ-सुथरा परिसर, हरा-भरा माहोल, प्रदूषण नियंत्रण के सख़्त उपाय, शून्य निःस्राव प्रवाह, व्यवस्थित प्रबंधन तथा हानिकारक व अन्य तरह के अपशेषों का निपटारा व अन्य कई तरह के उपाय एक अच्छे स्थापित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के हिस्से बन गए हैं.

10.2 प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास एवं विदेशी मुद्रा संरक्षण :

10.2.1 ऊर्जा संरक्षण पर कंपनी निरंतर रूप से विशेष ध्यान दे रही है. ऊर्जा संरक्षण के लिए अपनाये गये कुछ कदम इस प्रकार हैं :

i) आईआईपीई (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंजीनियर्स) जैसी व्यवसायिक एजंसी द्वारा कंचनबाग में ऊर्जा ऑडिट.

ii) वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान ऑडिट संस्तुतियां कार्यान्वित

iii) पॉवर फैक्टर को 0.96 तक बढ़ाने विभिन्न सब-स्टेशन में ऑटोमेटिक पॉवर फैक्टर कंट्रोल पैनल की व्यवस्था.

iv) वर्ष 2012-13 के दौरान कंचनबाग में सोलार स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था.

v) भानूर इकाई की कैण्टीन में इलेक्ट्रिक गीज़र की जगह सोलार वाटर हीटर की व्यवस्था.

vi) विशाखापट्टणम इकाई में संभावित तौर पर दिसंबर, 2012 तक शुरू होनेवाली कैण्टीन के लिए सोलार वाटर हीटर तथा सोलार कुकिंग सिस्टम की व्यवस्था.

vii) तीसरी पीढ़ी के प्रक्षेपास्त्र और एस आर सैम उत्पादन के लिए बनने वाली नई इकाइयों/प्रभागों में सोलार वाटर हीटिंग और सोलार कुकिंग की व्यवस्था.

viii) ऊर्जा और पानी की बचत के लिए परंपरागत रेसीप्रोकेशन वाटर कूल्ड एयर कंप्रेसर की जगह स्क्रू टाइप कंप्रेसर का प्रतिष्ठापन.

11. विदेश मुद्रा संरक्षण

11.1 कंपनी, अंतिम उत्पादों के संयोजन में देशीय घटकों को बढ़ावा देते हुए, ओ ई एम से घटक एवं उप-प्रणालियों का आयात घटाते हुए विदेश मुद्रा संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.

12. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व

12.1 संस्थापन से ही कंपनी अपने विभिन्न प्रभागों में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रही है. सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेय जल जैसी मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए गाँवों को अपनाना इन गतिविधियों का एक अंग है.

12.2 डी पी ई दिशा-निर्देशानुसार कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी नीति लागू है. कंपनी में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आनेवाली परियोजनाओं के अनुवीक्षण के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तर की एक समिति गठित की गई. सीएसआर के अंतर्गत कंपनी की कई गतिविधियाँ हैं जिनका विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विस्तार से दिया गया है.

****

अनुलग्नक-III

नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट

1. नैगमिक अभिशासन संबंधी कंपनी की विचारधारा

1.1 कंपनी के सभी कार्यों में पारदर्शिता, उचित बातों का प्रकटन, कानून का अनुपालन, नैतिक मूल्यों के पालन सहित सभी स्वामित्वधारकों के हितों का ध्यान रखना कंपनी की नैगमिक अभिशासन संबंधी विचारधारा है.

1.2 कंपनी अपने व्यावसायिक उपागम के साथ नैगमिक अभिशासन वचनों का लिखित एवं व्यावहारिक रूप में यथावत पालन कर रही है.

1.3 कंपनी की गतिविधियों का सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के निरीक्षक एवं महालेखापरीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) आदि कई बाह्य एजंसियों द्वारा अनुवीक्षण किया जाता है.

2. निदेशक मण्डल

2.1 निदेशकों का गठन एवं उनकी श्रेणी

2.1.1 समय-समय पर संशोधित संस्था के अंतर्नियम के प्रावधान के अनुसार बीडीएल के निदेशक-मण्डल में न्यूनतम 2 एवं अधिकतम 15 निदेशक होंगे. निदेशकों के लिए क्वालिफिकेशन शेयर रखने की कोई आश्यकता नहीं है.

2.1.2 भारत सरकार द्वारा कंपनी के निदेशक-मण्डल का पुनर्गठन किया गया जिसमें 9 सदस्य हैं अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 4 पूर्णकालिक निदेशक, 2 अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं 3 अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक. इनके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय के निदेशानुसार चार स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य यथा - वायुसेना के उपाध्यक्ष, नौसेना के उपाध्यक्ष, थल सेना के उपाध्यक्ष एवं डी आर डी ओ के मनोनीत सदस्य शमिल हैं.

2.1.3 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष से संबंधित बोर्ड के सदस्यों का विवरण निम्नवत् है :

(अ) कार्यकारी/पूर्णकालिक निदेशक :

- (i) मेजर जनरल रवि खेतरपाल, वि से मे (नि.)
  अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- (ii) श्री एस एन मंथा
  निदेशक (तकनीकी)
- (iii) एअर वाईस मार्शल पी के श्रीवास्तव, वि से मे (नि.)
  निदेशक (उत्पादन)
- (iv) श्री एस वी सुब्बा राव
  निदेशक (वित्त)

(आ) अंशकालिक सरकारी निदेशक

- (i) श्री पी के मिश्र
  संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली)
  रक्षा उत्पादन विभाग
  रक्षा मंत्रालय
- (ii) श्री आर जी विश्वनाथन
  अपर वित्त सलाहकार (अनुसंधान एवं विकास), डीआरडीओ
  संयुक्त सचिव
  रक्षा मंत्रालय

(इ) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

- (i) प्रो. आर के मिश्र
  वरिष्ठ प्रोफ़ेसर एवं निदेशक
  सार्वजनिक उद्यम संस्थान
- (ii) श्री के एल मेहरोत्रा
  भूतपूर्व सी एम डी, मैंगनीज़ ओर (इं) लिमिटेड
- (iii) श्री ए के कपूर
  प्रतिष्ठित वैज्ञानिक
  डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय

2.1.4 दिनांक 31 मार्च, 2012 तक निदेशक मंडल की बैठकों में वर्तमान स्थायी विशेष आमंत्रितों के विवरण इस प्रकार है:

- (I) एअर मार्शल के के नोहवार, प वि से मे, वि मे, ए डी सी वायु सेना उपाध्यक्ष
- (ii) ले. जनरल नरेन्द्र सिंह, से मे, वि से मे
  थल सेना उपाध्यक्ष (पी अण्ड एस)
- (iii) वाईस एडमिरल आर के धोवन, प वि से मे, अ वि से मे, यु से मे
  नौसेना उपाध्यक्ष

(iv) श्री पी वेणुगोपालन उत्कृष्ट वैज्ञानिक निदेशक, डी आर डी एल एवं सदस्य सचिव, जी एम बी

2.2 निदेशक-मण्डल की बैठकें एवं उपस्थिति; निदेशक की सदस्यता या अध्यक्षता में गठित अन्य बोर्ड या बोर्ड समितियों की संख्या :

2.2.1 वर्ष 2011-12 के दौरान दि. 20 मई, 2011; 29 जुलाई, 2011; 03 अगस्त, 2011; 19 सितंबर, 2011; 20 अक्तूबर 2011; 25 नवंबर, 2011; 22 फरवरी, 2012 और 24 मार्च, 2012 को निदेशक-मण्डल की कुल 8 बैठकें हुईं. निदेशक मण्डल की बैठक हर तीन महीने में कम से कम एक बार और वर्ष के दौरान ऐसी चार बैठकें होनी आवश्यक हैं. निदेशक मण्डल की सूचना एवं निर्णय के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाती है.

2.2.2 वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों, वार्षिक आम सभा में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनकी अन्य निदेशक-सदस्यता/समिति सदस्यता के विवरण इस प्रकार हैं :

निदेशक	निदेशक मंडल की बैठकें		19 सितंबर, 2011 को संपन्न विगत एजीएम में उपस्थिति	अन्य निदेशक-सदस्यता में संपन्न बैठकें	सभी कंपनियों को मिलाकर समितियों में सदस्यता	
	निदेशक के कार्य-काल में संपन्न निदेशक-मण्डल की बैठकें	कुल बैठकों में प्रतिभाग			अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
कार्यकारी निदेशक						
मेजर जनरल रवि खेतरपाल, वि से मे (नि.) सी एम डी	8	8	हाँ	-	2	-
श्री एन विनोद कुमार, निदेशक (वित्त), (30 जून 2011 तक)	1	1	-	-	-	-
श्री एस एन मंथा, निदेशक (तकनीकी)	8	7	हाँ	-	-	2
एयर वाईस मार्शल पी के श्रीवास्तव, वि से मे (नि.) निदेशक (उत्पादन)	8	7	हाँ	-	-	2
श्री एस वी सुब्बा राव, निदेशक (वित्त) (1जुलाई 2011 से)	7	7	हाँ	-	-	4
अंशकालिक सरकारी निदेशक						
श्रीमती रश्मि वर्मा, आई ए एस संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) (26 अप्रैल 2011 तक)	0	0	-	-	-	-
श्री पी के मिश्र, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) (27 अप्रैल 2011 से)	8	7	हाँ	-	-	2
श्री जतिंदरबीर सिंह, आई ए एस संयुक्त सचिव एवं ए एम (एल एस) (14 जून 2011 तक)	1	1	-	-	-	-
श्री आर जी विश्वनाथन अपर वित्त सलाहकार, (आर अण्ड डी) एवं संयुक्त सचिव (15 जून 2011 से)	7	7	हाँ	1	-	-
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक						
प्रो. आर के मिश्र	8	7	हाँ	1	3	3
श्री के एल मेहरोत्रा	8	8	हाँ	3	4	6
श्री ए के कपूर (16 फरवरी 2012 से)	2	2	-	-	-	1

2.2.3 अपरिहार्य कारणों से बैठक में भाग नहीं ले पाने की स्थिति में निदेशकों को अनुपस्थिति अवकाश दिया गया.

2.2.4 इस संदर्भ में डी पी ई दिशानिर्देशानुसार कोई भी निदेशक सभी कंपनियों में मिलाकर दस से अधिक समितियों का सदस्य या किन्हीं पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं.

2.3 नये निदेशकों की नियुक्ति

2.3.1 संस्था के अंतर्नियमों के तहत सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. वर्ष 2011-12 के दौरान श्री एन विनोद कुमार के स्थान पर महाप्रबंधक (वित्त) श्री एस वी सुब्बा राव निदेशक (वित्त) नियुक्त किए जाने तथा श्री ए के कपूर प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, डीआरडीओ को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किए जाने के संबंध में दो राष्ट्रपति आदेश प्राप्त हुए. इन नव नियुक्त निदेशकों से संबंधित आवश्यक विवरण इस प्रकार है :

(i) श्री एस वी सुब्बा राव

श्री एस वी सुब्बा राव ने दि. 01 जुलाई, 2011 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण किया. इन्होंने बी एस सी (भौतिक विज्ञान) की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की तथा ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्था के सदस्य भी हैं. इन्हें 33 वर्ष का कार्यानुभव है और इन्होंने बी डी एल में 1983 से वित्त विभाग के सभी क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएँ प्रदान कीं.

निदेशक बनने से पूर्व वे वित्त विभाग के महाप्रबंधक रहे और इस पद पर रहते हुए उन्होंने सांविधिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड को निवेश नीति बनाने में सहायता करने, लेखा नीति बनाना और अन्य विषयों में अपना योगदान दिया. लेखा-परीक्षा बैठकों में भाग लेना, कार्रवाई रिपोर्ट एवं प्रगति का अनुवीक्षण, मंत्रालय के साथ किये जाने वाले अनुबंध ज्ञापन प्रलेख का अनुवीक्षण, मंत्रालय के साथ किये जाने वाले अनुबंध ज्ञापन प्रलेख का अनुवीक्षण, आवधिक / वार्षिक लेखा को अंतिम रूप देने में भी इनका योगदान रहा.

इन्होंने केंद्रीकृत रोकड़ प्रबंधन प्रणाली का अभिकल्पन कर, समय-समय पर ध्यान रख इसे बनाये रखा. विभाग के लेखा एवं वित्त के विभिन्न क्षेत्रों में इनका व्यापक अनुभव रहा है. ये वित्त एवं लेखा की गतिविधियों के प्रभागीकरण का अभिकल्पन, लेखा मैनुअल, कार्यनिष्पादन एवं पूँजीगत बजट, लागत नियंत्रण उपाय की रचना, कंपनी की कार्यगत पूँजी प्रबंधन एवं उसका अनुवीक्षण आदि से भी जुड़े रहे.

वित्त विभाग के सदस्य के रूप में इन्होंने ग्राहक / रक्षा मंत्रालय / आपूर्तिकर्ता से कीमत संबंधी चर्चा में भाग लिया. वेतन निर्धारण समिति के अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने वेतन समझौता एवं उससे संबंधित विषयों को अंतिम रूप देकर कर्मचारी यूनियन के साथ समझौता ज्ञापन किया. इन्होंने वित्तीय दृष्टि से संगठन निर्माण में, कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहनपरक आवश्यकताओं का मूल्यवर्द्धन किया.

वित्त विभाग के सक्रिय अधिकारी के रूप में वर्ष 1988 में संगठन के लेखा को हस्तकृत पद्धति से डॉस प्लैटफॉर्म पर तथा तदुपरांत 1998 में लेखा-कार्यकलाप को डॉस प्लैटफॉर्म से ओरॉकिल में बदलने में इनका विशेष योगदान रहा. साथ ही, ई आर पी के प्रभावी अनुप्रयोग के लिए एक प्लैटफॉर्म बनाया.

एक सक्रिय अधिकारी के रूप में इन्होंने मेसर्स पी जे केमिकल्स लिमिटेड के साथ जुड़े रहने में, राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त परियोजना, मेसर्स नरसिंहा राव, सनदी लेखाकार के साथ सार्वजनिक बैंक शाखा, राज्य के सार्वजनिक उद्यम के निरीक्षण / लेखा परीक्षा आदि में अपना सहयोग दिया.

(ii) श्री ए के कपूर

श्री आनंद कुमार कपूर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ से वैमानिक इंजीनियरिंग के स्नातक हैं. इन्होंने आईआईटी चेन्नई से एम टेक (वैमानिकी) तथा वांतरिक्ष नोदन में विशेषज्ञता प्राप्त की.

श्री ए के कपूर मई, 1971 में डीआरडीओ में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए तथा जुलाई, 1995 के दौरान डीआरडीएल में वैज्ञानिक "जी" पद प्राप्त किया. इन्होंने जून, 2004 तक डीआरडीएल में अपने कार्यकाल के दौरान सॉलिड रॉकेट प्रोपेल्शन प्रभाग के प्रधान, परियोजना उप निदेशक, त्रिशूल के परियोजना निदेशक आदि पदों का पदभार संभाला. जून, 2002 के दौरान अग्नि, विस्फोटक एवं पर्यावरण संरक्षा, दिल्ली के निदेशक (वैज्ञानिक "जी") के पद पर नियुक्त हुए. अधिवर्षिता प्राप्त कर जनवरी, 2008 में सेवा निवृत्ति के समय ये वैज्ञानिक "एच" पद पर कार्यरत थे. इन्होंने फरवरी, 2008 से जनवरी, 2010 तक डीआरडीओ (दिल्ली) में एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान की.

इन्हें वर्ष 1998 के लिए डीआरडीओ वैज्ञानिक पुरस्कार, प्रमाण-पत्र तथा ₹1,00,000/- का नक़द पुरस्कार एवं 2006 में डीआरडीओ टेक्नॉलॉजी स्पिन-ऑफ पुरस्कार, प्रमाण-पत्र एवं ₹2,00,000/- के नक़द पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

3. निदेशक मंडल की समितियाँ

3.1 बीडीएल में 31 मार्च, 2012 तक निदेशक मंडल की 6 समितियाँ कार्यरत हैं.

i) लेखापरीक्षा समिति
ii) पारिश्रमिक समिति
iii) खरीद समिति
iv) मानव संसाधन समिति
v) सतत् विकास के लिए समिति
vi) कंपनी में सीएसआर योजना के अनुवीक्षण के लिए समिति

3.2 इन समितियों की बैठकों के तुरंत बाद आयोजित की जाने वाली निदेशक मंडल की बैठकों में इनके कार्यवृत्त निदेशक मंडल की सूचना के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं. बहुमत/सर्वसम्मति के आधार पर समितियों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं.

4. लेखा-परीक्षा समिति

4.1 विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण :

4.1.1 डी पी ए द्वारा दि.14 मई, 2010 के का.ज्ञा. संख्या 18 (8)/2005-जीएम के तहत जारी सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देश अनुसार लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, अधिकार, जानकारी का समीक्षा क्षेत्र इत्यादि का संशोधन किया गया. अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत हैं:

i) कंपनी के वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की रिपोर्टिंग प्रक्रिया में चूकवश होनेवाली कमियों तथा इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन

ii) लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारण के संबंध में निदेशक-मण्डल को सिफारिश करना.

iii) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अन्य प्रकार की प्रदत्त सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन.

iv) निदेशक-मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करना.

v) आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्यनिष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना.

vi) आंतरिक लेखापरीक्षकों और/अथवा लेखा परीक्षकों से चर्चा कर कई महत्वपूर्ण जानकारी ज्ञात कर उस पर अनुवर्ती कार्रवाई कराना.

vii) लेखापरीक्षा से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं विषय-क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों से चर्चा करना तथा लेखापरीक्षा उपरान्त किसी चिंतनीय बात की जानकारी प्राप्त करने चर्चा.

viii) नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा की गई लेखापरीक्षा पर दिए गए निरीक्षणों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना.

4.1.2 कंपनी के कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए तीन सनदी लेखाकार फर्मों को नियुक्त किया गया है जो कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के अतिरिक्त है और इन आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्टों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई.

4.2 गठन, अध्यक्ष व सदस्यों के नाम :

4.2.1 कंपनी के निदेशक मण्डल ने दि.22 फरवरी, 2012 को संपन्न अपनी बैठक में कंपनी की लेखा-समिति का पुनर्गठन किया. दि.31 मार्च, 2012 तक लेखा-समिति में निम्नलिखित निदेशक सदस्य रहे :-

i)	प्रो. आर के मिश्र	अध्यक्ष
ii)	श्री के एल मेहरोत्रा	सदस्य
iii)	श्री ए के कपूर	सदस्य

4.2.2 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में पूर्णकालिक निदेशक स्थायी आमंत्रित के रूप में बुलाए जाते हैं तथा सांविधिक लेखापरीक्षक एवं आंतरिक लेखापरीक्षा करनेवले बाह्य सनदी लेखाकार फर्म के प्रतिनिधि आमंत्रण पर उपस्थित हो सकते हैं. कंपनी सचिव इस लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं.

4.3 वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें व इनमें उपस्थिति :

4.3.1 वर्ष 2011-12 के दौरान दि. 28 जून, 2011; दि. 28 जुलाई, 2011; दि. 19 सितंबर, 2011, दि.25 नवंबर, 2011 और 24 मार्च, 2012 को लेखापरीक्षा समिति की कुल पाँच बैठकें संपन्न हुईं. इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नवत् है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
01.	श्री पी के मिश्रसंयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) (20 मई 2011 से 21 फरवरी 2012)	4	2
02.	प्रो. आर के मिश्र (20 मई 2011 से)	5	5
03.	श्री के एल मेहरोत्रा (20 मई 2011 से)	5	5
04.	श्री ए के कपूर (22 फरवरी 2012 से)	1	1

5. पारिश्रमिक समिति

5.1 निदेशक मण्डल ने दि. 26 नवंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्यक 2 (70)/08/डीपीई (डब्ल्यू सी) के तहत डी पी ई द्वारा ज़ारी दिशा-निर्देशानुसार दि.30 जनवरी, 2009 को संपन्न अपनी बैठक में पारिश्रमिक समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नामित किए गए. कार्यपालक वर्ग के कर्मचारियों में वितरित करने के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्ती वेतन पूल और नीति का निर्धारण करना, वार्षिक पी आर पी तथा उचित कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली संस्तुत करना इत्यादि इस समिति के विचारार्थ विषय होंगे.

5.2 नैगमिक अभिशासन के संबंध में डी पी ई द्वारा ज़ारी दिशा-निर्देशानुसार समय-समय पर पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाता है. 31 मार्च 2012 तक समिति की रचना निम्नवत् है :

(i)	श्री के एल मेहरोत्रा स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
(ii)	प्रो. आर के मिश्र, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
(iii)	श्री पी के मिश्र, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली)	सदस्य

5.2.1 डॉ. एन के राजू, अधिशासी निदेशक (का.एवं प्र.) पारिश्रमिक समिति के सचिव हैं.

5.3 वर्ष 2011-12 के दौरान दि. 14 जून, 2011, 25 नवंबर, 2011 तथा 22 फरवरी, 2011 को पारिश्रमिक समिति की कुल तीन बैठकें संपन्न हुईं. इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम सर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
1.	श्री के एल मेहरोत्रा	3	3
2.	प्रो. आर के मिश्र	3	2
3.	श्री पी के मिश्र	3	3

5.4 पारिश्रमिक नीति / सभी निदेशकों को देय पारिश्रमिक के विवरण

5.4.1 केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, इनका कार्यकाल तथा पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति संबंधी सरकारी पत्र में उनकी नियुक्ति से संबद्ध निबंधन एवं शर्तें, कार्यकाल, मूल वेतन, वेतनमान, महँगाई भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता आदि की विस्तृत जानकारी होती है तथा इसमें यह भी सूचित किया जाता है कि जो अन्य निबंधन एवं शर्तें इस पत्र में नहीं दी गई हैं वहाँ कंपनी से संबद्ध नियमावली लागू होगी.

5.4.2 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति आरंभिक तौर पर नियुक्ति तिथि से पाँच वर्ष तक अथवा उनकी अधिवर्षिता तक या इस संबंध में सरकार द्वारा अगले आदेश प्राप्त होने तक इनमें से सबसे पहले आने वाली अवधि तक नियुक्त किये जाते हैं. आयु, कार्य-निष्पादन तथा अन्य निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए यह नियुक्ति आरंभिक अवधि से अगले पाँच वर्षों के लिए अथवा अधिवर्षिता की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले आए उस तिथि तक सेवाएँ विस्तारित की जा सकती हैं. अंशकालिक सरकारी निदेशक समान्यत: प्रशासनिक मंत्रालय से होते हैं तथा उनकी सेवावधी कंपनी के निदेशक-मण्डल में नियुक्ति से लेकर उस मंत्रालय में बने रहने तक होती है. अंशकालिक गैर-अधिशासी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जाती है.

5.4.3 वर्ष 2010-11 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक के विवरण इस प्रकार हैं :

निदेशक का नाम सर्वश्री	वेतन बकाया सहित *(ए)	लाभ *(बी)	भविष्य-निधि, पेंशन तथा ग्रैच्युटी में कंपनी का अंशदान	प्रोत्साहन राशि *(सी)	पट्टा आवास	कुल (₹)
मेजर जनरल रवि खेतरपाल वि से मे (नि.) सी एम डी	17,30,522	10,71,877	2,06,568	5,45,888	5,40,000	40,94,855
श्री एन विनोद कुमार निदेशक (वित्त) (30 जून 2011 तक)	3,53,700	13,46,770	9,74,313	7,41,063	75,000	34,90,846
श्री एस एन मंथा निदेशक (तकनीकी)	12,66,866	3,79,355	1,52,022	4,74,105	4,26,708	26,99,056
एयर वाईस मार्शल पी के श्रीवास्तव वि से मे (नि.) निदेशक (उत्पादन)	13,73,908	4,07,692	1,63,975	19,285	4,50,000	24,14,860
श्री एस वी सुब्बा राव निदेशक (वित्त) (01 जुलाई 2011 से)	9,55,425	2,63,250	1,06,683	2,10,560	2,25,000	17,60,918

*(ए) वर्ष 2011-12 के वेतन में मूल वेतन, महँगाई भत्ता, एच आर ए, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन-वृद्धि शामिल हैं.

*(बी) लाभ के अंतर्गत वर्ष 2011-12 अवधि के लिए प्रावकाश छुट्टी नगदीकरण, स्थानांतरण अनुदान, धुलायी, चिकित्सा ओ पी, अखबार, व्यावसायिक विकास भत्ता, विशेष भत्ता शामिल हैं.

*(सी) वर्ष 2011-12 में भुगतान की गई त्रैमासिक प्रोत्साहन राशि में वित्तीय वर्ष 2009-10 तक का पी आर पी शामिल है.

5.4.4 अंशकालिक सरकारी निदेशकों (गैर अधिशासी निदेशक) को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है तथा उन्हें निदेशक मण्डल/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भी किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता.

5.4.5 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) को निदेशक मण्डल / समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹5,000/- प्रतिभागिता शुल्क का भुगतान किया जाता है जो दि. 29 जुलाई, 2011 से ₹10,000/- किया गया है. वर्ष 2011-12 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किये गये शुल्क का विवरण इस प्रकार है :

(प्रतिभगिता शुल्क ₹ में)

नाम	कुल
श्री के एल मेहरोत्रा	1,70,000/-
प्रो. आर के मिश्र	1,55,000/-
श्री ए के कपूर	30,000/-

6. खरीद समिति

6.1 सी एम डी के अधिकारों से परे नई परियोजनाओं (आर अण्ड डी परियोजनाओं सहित) की मंजूरी एवं समीक्षा के लिए मंडल द्वारा दि. 29 जुलाई, 2011 को यह समिति गठित की गई. प्रत्येक संदर्भ में अधिकतम ₹25 करोड़ की मंजूरी दी जा सकती है और सी एम डी के अधिकारों से परे खरीदी प्रस्ताव का भी अनुमोदन दिया जा सकता है. .

6.2 31 मार्च, 2012 तक समिति की रचना इस प्रकार है -

1.	मेजर जनरल रवि खेतरपाल, विसेमे (नि.) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री के एल मेहरोत्रा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य
3.	प्रो. आर के मिश्र अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य
4.	एस एन मंथा निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
5.	एअर वाईस मार्शल पी के श्रीवास्तव, विसेमे (नि.) निदेशक (उत्पादन)	सदस्य
6.	श्री एस वी सुब्बा राव निदेशक (वित्त)	सदस्य

6.3 कंपनी सचिव इस समिति के सदस्य होंगे और निगम वाणिज्य विभाग के प्रधान सहयोग के लिए आमंत्रित किए जाएंगे.

6.4 वर्ष के दौरान दि. 20 अक्तूबर, 2011 तथा 24 फरवरी, 2011 को समिति की कुल दो बैठकें संपन्न हुईं. इन बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है -

क्र.सं.	निदेशक का नामसर्वश्री	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	कुल उपस्थित बैठकें
1	मेजर जनरल रवि खेतरपाल, विसेमे (नि.)	2	2
2	श्री के एल मेहरोत्रा	2	2
3	प्रो. आर के मिश्र	2	2
4	श्री एस एन मंथा	2	1
5	एअर वाईस मार्शल पी के श्रीवास्तव, विसेमे (नि.)	2	2
6	श्री एस वी सुब्बा राव	2	2

7. मानव संसाधन समिति

7.1 मानव संसाधन से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा तथा उनके अनुमोदन के लिए दि. 29 जुलाई 2011 को मंडल द्वारा यह समिति गठित की गई.

7.2 31 मार्च, 2012 तक समिति की रचना इस प्रकार है -

1.	मेजर जनरल रवि खेतरपाल, विसेमे (नि.) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री पी के मिश्र, संयुक्त सचिव (प्रक्षेपास्त्र प्रणाली) सरकारी निदेशक	सदस्य
3.	श्री के एल मेहरोत्रा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य
4.	एस एन मंथा निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
5.	एअर वाईस मार्शल पी के श्रीवास्तव, विसेमे (नि.) निदेशक (उत्पादन)	सदस्य
6.	श्री एस वी सुब्बा राव निदेशक (वित्त)	सदस्य

7.3 कंपनी सचिव इस समिति के सदस्य होंगे और कार्मिक एवं प्रशासन विभाग के प्रधान सहयोग के लिए आमंत्रित किए जाएंगे.

8. सतत् विकास के लिए समिति

8.1 सी पी एस ई के सतत् विकास के संबंध में डी पी ई दिशानिर्देशानुसार निरंतर विकास योजना के अनुमोदन तथा कंपनी में सतत् विकास निष्पादन की देखरेख के लिए दि. 25 नवंबर, 2011 को एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में मंडल द्वारा इस समिति का गठन किया गया.

8.2 31 मार्च, 2012 तक समिति की रचना इस प्रकार है :

1.	श्री के एल मेहरोत्रा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष
2.	श्री एस वी सुब्बा राव निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	अधिशासी निदेशक (तकनीकी क्षेत्र)	सदस्य
4.	डॉ. एन के राजू अधिशासी निदेशक (का. एवं प्रशा.)	सदस्य

8.3 वर्ष के दौरान दि. 22 फरवरी, 2012 को इस समिति की एक बैठक संपन्न हुई जिस में समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे.

9. कंपनी की सीएसआर योजना के अनुवीक्षण के लिए समिति

9.1 डीपीई दिशा-निर्देशानुसार कंपनी के नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत परियोजनाओं के अनुवीक्षण के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में दि. 25 नवंबर, 2011 को मंडल द्वारा यह समिति गठित की गई.

9.2 31 मार्च, 2012 तक समिति की रचना इस प्रकार है :

1.	प्रो. आर के मिश्र अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	अध्यक्ष
2.	श्री एस वी सुब्बा राव निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	डॉ. एन के राजू अधिशासी निदेशक (का. एवं प्रशा.)	सदस्य

9.3 रिपोर्ट वर्ष के दौरान दि. 20 फरवरी, 2012 को इस समिति की एक बैठक संपन्न हुई जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे.

10. आम सभाएँ

10.1 कंपनी की सभी आम सभाएँ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संपन्न हुईं. विगत तीन वर्षों के दौरान संपन्न ऐसी बैठकों के विवरण इस प्रकार हैं :-

वार्षिक आम सभा की संख्या	वितीय वर्ष	बैठक की तिथि	बैठक का समय	बैठक का स्थान
39	2008-09	04 सितंबर,2009	1230 बजे	पंजीकृत कार्यालय, कंचनबाग, हैदराबाद
40	2009-10	03 सितंबर,2010	1430 बजे	
41	2010-11	19 सितंबर,2011	1700 बजे	

10.2 विशेष संकल्पों की सूची : दि. 04 सितंबर, 2009 (2008-2009) को संपन्न 39 वीं वार्षिक आम सभा में डी पी ई द्वारा मिनीरत्न वर्ग-1 सार्वजनिक उद्यम अर्थात् बीडीएल को प्रत्यायोजित शक्तियों एवं परिवर्धित स्वायत्तता के प्रयोग के लिए कंपनी के अंतर्नियम के उपबंध 103 (बी) में संशोधन किया गया तथा 102 (ए) जोड़ते हुए एक विशेष संकल्प पारित किया गया.

11. प्रकटन

11.1 वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी के निदेशकों के साथ ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया जो कंपनी के हित में न हो. निदेशक मंडल के सदस्य पारिश्रमिक लेने के अतिरिक्त (जहाँ लागू हो) कंपनी के साथ किसी भी प्रकार के आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं रखते जो निदेशक मंडल के निर्णयानुसार फैसला लेने में निदेशकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं.

11.2 सरकार द्वारा ज़ारी दिशा-निर्देश से संबद्ध किसी विषय को लेकर किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा विगत तीन वर्ष के दौरान कंपनी पर न कोई जुर्माना लगा और न ही कोई अवक्षेप किया गया.

11.3 व्हिज़िल ब्लोअर मैकानिज़्म : डी पी ई द्वारा ज़ारी सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देश 2010 का अनुपालन किया गया है. कंपनी की व्हिज़िल ब्लोअर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि कोई भी व्यक्ति लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष से मिल सकता है. इस वर्षावधि की रिपोर्ट के दौरान किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति या उसके अध्यक्ष से मिलने से मना नहीं किया गया है.

11.4 कंपनी, जोखिम प्रबंधन एवं वर्ग-वार रिपोर्टिंग को छोड़कर डीपीई द्वारा नैगमिक प्रशासन के संबंध में जारी सीपीएसई, 2010 के सभी दिशा-निर्देश का अनुपालन कर रही है. कंपनी विभिन्न प्रकार के जोखिम पहचानने तथा अपने कार्य-संचालन के विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध जोखिम शमन उपाय सुझाने के लिए एक सर्वोपरि जोखिम प्रबंधन नीति बना रही है. कंपनी कपट प्रतिरोध नीति भी प्रवर्तित कर रही है. कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन हो चुका है. संव्यवहार की प्रकृति एवं उद्‌घाटित करने में उसकी संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्ग रिपोर्टिंग से संबद्ध ए एस-17 को छोड़कर अनुप्रयोज्य सभी लेखा-मानदण्डों का पालन किया जा रहा है. तथापि, इसे उद्‌घाटित न करने पर कंपनी की लेखाओं पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा. लेखा संबंधित टिप्पणी में आवश्यक सूचना दी गई है. संप्रति बोर्ड में सदस्यों की संख्या 8 है जबकि मंजूर की गई संख्या 9 है. 8 सदस्यों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की संख्या 2 है जबकि मंजूर की गई संख्या 3 है. एक और अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक की नियुक्ति की जानी है.

11.5 प्राप्त राष्ट्रपति निर्देश का विवरण तथा उनका कार्यान्वियन : कंपनी के बोर्ड स्तर एवं बोर्ड के निम्न स्तर के कार्यापालकों के वेतन संशोधन के संबंध में डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार संशोधित वेतनमान के कार्यान्वियन के लिए मंजूरी प्रदान करते हुए दि. 27 अप्रैल, 09 का संख्यक एच - 62030/1/0227 - डी (बीडीएल) राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त हुआ. तदनुसार, राष्ट्रपति निर्देश का अनुपालन करते हुए कंपनी ने वेतन संशोधन कार्यान्वित किया है.

11.6 व्यय का कोई भी ऐसा मद लेखा-बही के खर्चे में नहीं दिखाया गया जो संव्यवहार के लिए नहीं रखा गया हो.

11.7 निदेशक मण्डल तथा उच्च प्रबंधन के व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए कंपनी ने किसी प्रकार का व्यय नहीं किया.

11.8 प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय के विवरण कुल व्यय या वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में दिखाए जा रहे हैं :

(₹ करोड़)

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2010-11
1	कुल व्यय (सामग्री के अलावा)	473.94	393.38
2	प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	7.46	5.63
3	(1) पर (2) का प्रतिशत	1.57%	1.43%

12. संप्रेषण के माध्यम

अपने शेयरधारकों, निदेशकों तथा अन्य स्टेकधारकों के साथ कंपनी की संप्रेषण प्रणाली में पत्राचार और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट (http://bdl.ap.nic.in) के साथ-साथ सभी संप्रेषण चैनलों के माध्यम शामिल हैं. कंपनी वेबसाइट में कंपनी का परिचय, कार्य-संपादन, मिशन एवं भविष्य-दृष्टि, उद्‌देश्य, उपलब्धियाँ, बीडीएल का प्रबंधन, वार्षिक विवरण की सूचना, उत्पाद, निविदाओं के विवरण, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, कैरियर

संबंधी बीडीएल की जानकारी उपलब्ध होती है. कंपनी की कार्य-निष्पादन संबंधी जानकारी हर माह प्रशासनिक मंत्रालय को दी जाती है.

13. कंपनी असफल वित्तीय विवरण सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है.

14. समय-समय पर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का रूपायन किया जा रहा है.

15. निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आचरण संहिता

15.1 डी पी ई द्वारा ज़ारी सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश 2010 के सुझाव अनुसार कंपनी द्वारा अपने निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए संव्यवहार नीति एवं आचरण संहिता अपनायी गयी है.

15.2 यह आचरण संहिता कंपनी के वेबसाइट पर भी रखी गई है. निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यपालकों ने वर्ष 2011-12 के दौरान आचरण संहिता के अनुपालन पर बल देते हुए वचन-पत्र (घोषणा) दिया है.

15.3 इस संबंधी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा निम्नवत् है :

16. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा

डी पी ई द्वारा ज़ारी कार्यालय ज्ञापन सं.18(8)/2005-जीएम, दिनांक 14 मई, 2010 में उल्लिखित सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देशन के अनुसार यह घोषणा की जाती है कि निदेशक-मण्डल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक-मण्डल सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक संव्यवहार आचरण एवं नैतिक संहिता का सकारात्मक अनुपालन किया है.

कृते भारत डायनामिक्स लिमिटेड

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 29 अगस्त 2012

अनुलग्नक-IV

वाई रमेश एम कॉम, सी ए आई आई बी, ए सी एस
कार्यरत कंपनी सचिव
मोबाइल : 9849045347

नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्य-गण
भारत डायनामिक्स लिमिटेड

मैंने, सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश 2010 के अनुसार दि.31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है.

नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है. मेरा यह परीक्षण उपरोक्त दिशा-निर्देश में उल्लिखित नैगमिक अभिशासन प्रमाण-पत्र की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है. यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा है और न ही विचाराभिव्यक्ति.

मेरे राय में तथा मुझे प्राप्त जानकारी व दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूँ कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा ज़ारी "सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश, 2010" के तहत कंपनी ने निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए संव्यवहार नीति आचरण संहिता अपनायी है जिसके तहत यह निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की ज़िम्मेदारी है कि आचरण संहिता से स्वयं अवगत हों और उसके मानकों का अनुपालन तथा दि. 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचरण संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करें.

मैं आगे प्रमाणित करता हूँ कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा ज़ारी "सी पी एस ई के लिए नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश, 2010" के तहत कंपनी में जोखिम प्रबंधन निर्देश को छोड़कर नैगमिक अभिशासन के बाकी अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है. जोख़िम प्रबंधन संबंधी कंपनी के लिए उपयुक्त नीतियाँ अपनाने की प्रक्रिया चल रही है.

(वाई रमेश)
कार्यरत कंपनी सचिव
सी पी संख्या : 7929

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 6 अगस्त 2012

947, बालाजी नगर, विद्या नगर, हैदराबाद-500 044
ई-मेल : racs_y@yahoo.co.in

बिक्री
₹ करोड़
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
433.51
454.38
464.82
627.23
939.16
959.12
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
वर्ष

उत्पादन मूल्य
₹ करोड़
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
385.84
505.85
523.06
631.61
910.98
992.94
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
वर्ष

मूल्य वर्द्धन
₹ करोड़
0
50
100
150
200
250
300
350
400
145.95
153.86
158.22
193.60
330.84
359.41
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
वर्ष

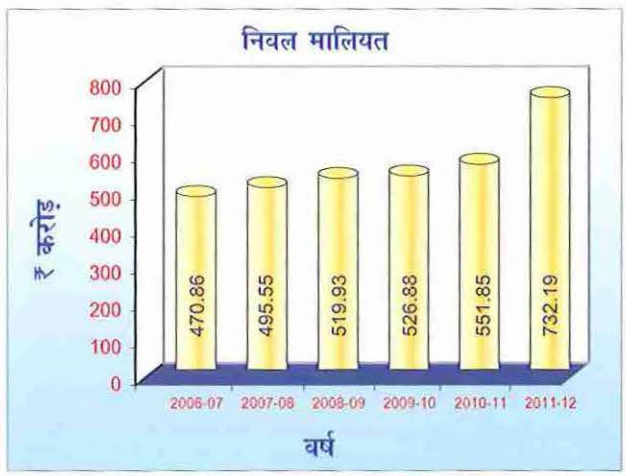
निवल मालियत
₹ करोड़
0
100
200
300
400
500
600
700
800
470.86
495.55
519.93
526.88
551.85
732.19
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
वर्ष

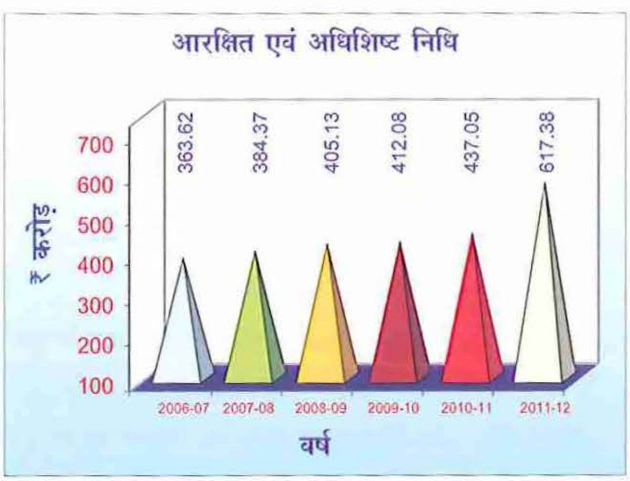
आरक्षित एवं अधिशिष्ट निधि
₹ करोड़
100
200
300
400
500
600
700
363.62
384.37
405.13
412.08
437.05
617.38
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
वर्ष

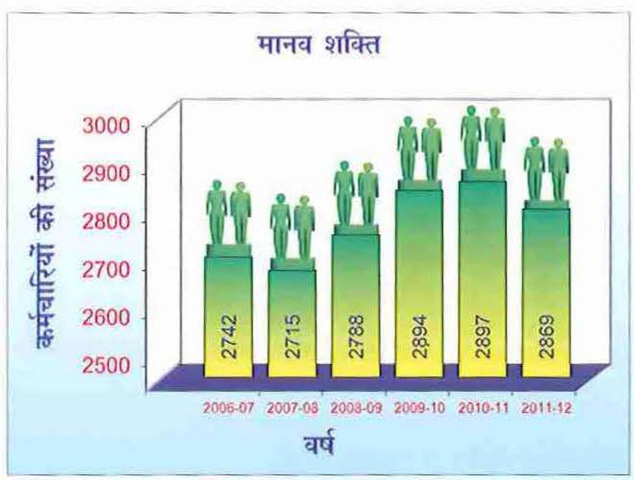
मानव शक्ति
कर्मचारियों की संख्या
2500
2600
2700
2800
2900
3000
2742
2715
2788
2894
2897
2869
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
वर्ष

लेखा-नीति

1. वित्तीय विवरण तैयार करने के मूल आधार

जब तक कि अन्यथा उद्धृत न हो, वित्तीय विवरणिकाएँ प्रोद्भूत आधार तथा परंपरागत लागत पर कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा कार्य-सिद्धान्तों के अनुसार तैयार की जाती हैं.

2. स्थायी परिसंपत्तियाँ

2.1 कंपनी के लेखाओं में भूमि का पूँजीकरण कंपनी लागत पर किया गया है. भूमि समतल बनाने, साफ कराने तथा ग्रेडिंग जैसे भूमि के विकास का पूँजीकरण भवनों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई भूमि के अनुपात में भवन लागत पर किया है तथा बाकी विकास-शीर्ष का पूँजीकरण भूमि लागत पर किया है. किसी भवन के निर्माण से संबंध न रखनेवाले लैंडस्केपिंग या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हुआ विकास-शीर्ष भूमि लागत माना जाता है.

2.2 बाहरी अभिकरणों की संपूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता/सहायिकी से अर्जित स्थायी परिसंपत्ति कंपनी के खातों में निवल लागत पर लेखांकित की गयी है. सरकार से बिना किसी लागत के हस्तांतरित संपत्ति सांकेतिक मूल्य पर लेखांकित की गयी है.

2.3 संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण, फिक्स्चर्स, कार्यालयीन फर्नीचर तथा उपकरणों की मदें जहाँ प्रत्येक मद का मूल्य ₹5,000/- रुपये या उससे कम है, वहाँ खरीद के वर्ष में संपूर्ण मूल्य-ह्रास किया जाता है. सिविल निर्माण के छोटे कार्यों की लागत जो ₹50,000/- या उससे कम है, ऐसे कार्य, आन्तरिक विभाजक दीवारें जिनमें हर कार्य पर ₹50,000/- या उससे कम लागत का हो राजस्व खाते पर प्रभारित किया जाता है. ऐसी विभाजक दीवारों की लागत जो ₹50,000/- रुपये से अधिक हो उनका मूल्य-ह्रास 5 वर्ष की अवधि या संबद्ध परिसर के पट्टे की अवधि, इनमें से कम वाली अविधि में किया जाता है.

2.4 सामग्री की मदें जो अनुपयुक्त होने से उपयोग में नहीं लायी जातीं उनका जब तक निपटान नहीं होता तब तक लेखाओं में परिशुद्ध लेखा-मूल्य और परिशुद्ध प्रापणीय मूल्य, इनमें से जो कम हो उस स्तर पर लेखांकित रखा जाता है. निपटान के बाद उन्हें लेखाओं से हटा दिया जाता है. संपत्ति विक्रय पर मूल लागत से जो अधिक राशि प्राप्त होती है उसे पूँजी प्रारक्षण जमा में डाला जाता है.

2.5 मशीनरी तथा उपस्करों की स्थिति के पुनःअनुकूलन, स्थान-पुनर्निर्धारण, पुनरारेखन पर होने वाला व्यय पूँजीकृत नहीं किया गया है.

2.6 संयंत्र, मशीनरी तथा उपस्करों के साथ प्राप्त अतिरिक्त पुर्जों की लागत पूँजीकृत की जाती है तथा इसका मूल्य-ह्रास संयंत्र और मशीनरी के मूल्य-ह्रास की भांति ही किया जाता है.

3. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

3.1 सामान्य अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय, व्यय के वर्ष में राजस्व को प्रभारित किया जाता है. कंपनी द्वारा वित्तपोषित विकास संबंधी व्यय तथा जिन विशिष्ट परियोजनाओं के उत्पादनों की तकनीकी संभाव्यता प्रमाणित हो चुकी हो और कंपनी जिनका उत्पादन कर विपणन करना चाहती हो, उन पर विकास का व्यय भविष्य के उत्पादों में संविलयन की दृष्टि से पूँजीकृत किया जाता है, यदि कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएँ पहले रोक दी जाती हों/त्यागी जाती हों तो रोके जाने तक/त्यागे जाने तक किये गये व्यय, रोके जाने/त्यागने के वर्ष में ही राजस्व में प्रभारित कर बट्टे-खाते डाले जाते हैं.

3.2 कार्मिक प्रशिक्षण पर व्यय, विदेशी तकनीशियनों का शुल्क तथा व्यय आदि परियोजना/उत्पाद विशेष पर उत्पादन-पूर्व व्यय विकासगत व्यय के रूप में प्राक्कलन के आधार पर क्रमिक अपाकरण किया जाता है जो अपाकृत नहीं होता उसे अग्रेषित किया जाता है.

3.3 आंतरिक प्रयोग के लिए तैयार किये गये साफ्टवेयर/बाहरी स्रोत से/स्रोतों से प्राप्त किये गए साफ्टवेयर जिनकी कीमत ₹1.00 लाख व उससे अधिक है, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, लेखा-पुस्तकों में अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है तथा इसका क्रमिक अपाकरण तीन सम भागों में होगा. अपाकरण का आरंभ इसकी प्रयुक्ति के आरंभ से माना जाता है.

4. औज़ार और उपस्कर

विशिष्ट परियोजनाओं/उत्पादों के लिए आवश्यक जिग्स, औज़ारों और फिक्चरों पर होने वाला व्यय आरंभतः तकनीकी मूल्यांकन के आधार से उत्पादन पर क्रमिक अपाकरण के लिए पूँजीकृत किया जाता है और जितना हिस्सा संविलयित नहीं होता, परिसंपत्ति के रूप में अग्रेषित किया जाता है. आंतरिक आधार पर विनिर्मित औज़ार लागत पर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर जो भी कम हो, पूँजीकृत किये जाते हैं. रखरखाव, पुनर्निर्माण, पुनःअनुकूलन, आवधिक निरीक्षण, उपस्कर धारदार बनाना, कटिंग उपस्कर का पुनर्भरण तथा समप्रकृति के कार्य राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किये जाते हैं.

5. परिसंपत्तियों का ह्रास

तुलन-पत्र की तारीख को परिसंपत्तियों की धारित-राशि निर्धारित की जाती है और यदि प्राक्कलित शोध्य राशि, धारित-राशि से कम पायी जाती हो तो ह्रास हानि आकलित कर प्रावधान किया जाता है.

6. निवेश

6.1 वित्तीय विवरणों में वर्तमान निवेश निम्नतम लागत पर प्रविष्टित होते हैं तथा निवेश समुचित मूल्य अलग-अलग निवेश के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

6.2 दीर्घ-अवधि निवेशों को वित्तीय विवरणों में लागत पर प्रविष्टित किया जाता है तथापि, मूल्य निवेश-मूल के स्थायी आधार पर ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है.

7. आस्थगित ऋण

आयात सामग्री उपस्करण संचिका की लागत से संबद्ध आस्थगित निर्बन्धों के अधीन अप्रदत्त भुगतान किश्तें तथा ब्याज और बिक्री किये गये उपकरणों/उत्पादों के आस्थगित राजस्व व्यय ग्राहकों से आस्थगित ऋण के रूप में लेखांकित किये जाते हैं और जब-जब किश्तों की और उस पर ब्याज की अदायगी होती है तो वसूल कर लिया जाता है.

8. सामग्री सूचियाँ

8.1 सामग्री-सूची निम्न लागत अथवा निवल प्रापणीय मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है. कच्चा माल, घटक, निर्माणाधीन सामग्री, खुले औज़ार और भण्डार की मदों तथा अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन भार की औसत लागत सूत्र के आधार पर किया जाता है.

8.2 मार्गस्त माल और निरीक्षणाधीन माल की वास्तविक लागत ली है.

8.3 प्राक्कलित वास्तविक मूल्यांकन पर विविध भण्डार का मूल्य दर्शाया है.

8.4 निर्माणाधीन कार्य लागत-दर या वास्तविक मूल्य या परिगणित मूल्य इनमें जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है. विनिर्माण संबंधी परियोजनाओं में संबंधित निर्माणाधीन कार्य में श्रमिक अंश का परिगणित मूल्य वर्ष के अंत में कार्य के प्रत्यक्ष परिसमापन के आधार पर उत्पाद-ऊपरी-व्यय-दर पर निर्धारित किया जाता है. इस तरह का मूल्यांकन संयोजन के प्रारंभिक चरण में और पुर्जों के विनिर्माण विकास-कार्य तथा अन्य फुटकर कार्यों में नहीं किया जाता है. निर्माणाधीन कार्य में सामग्री की मात्रा पर या प्रापणीय मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो, किया जाता है.

8.5 संव्यवहाराधीन भण्डार का मूल्यांकन लागत अथवा प्रापणीय मूल्य, जो भी कम हो, उस पर आँका गया है.

8.6 सीमा-शुल्क जहाँ लागू होता है वहाँ, माल की निकासी और सीमा-शुल्क प्राधिकरण से माल पारित होने पर माल की लागत पर भारित किया जाता है.

8.7 लेखन-सामग्री, वर्दी, कल्याण संबंधित उपभोज्य सामग्री, चिकित्सा तथा उपाहार-गृह, भण्डार सामग्री इनकी प्राप्ति के समय राजस्व में प्रभारित कर बट्टे में डाली जाती है.

8.8 अर्धनाशवान सामग्री, कल्याण संबंधी सामग्री तथा विविध उपकरणों का लागत मूल्य लिया जाता है तथा जिनका, ऐसी मदें जिनकी कीमत ₹10,000/- या उससे कम हो, जारी किये जाने के समय राजस्व प्रभारित किये जाते हैं और जिनका मूल्य ₹10,000/- रुपये से अधिक हो वे जारी किये जाने के वर्ष से दो वर्षों में राजस्व में डाले जाते हैं.

8.9 कच्चा माल, घटक, निर्माणाधीन सामग्री, खुले औज़ार और भण्डार की मदें तथा अतिरिक्त पुर्जों का अधिशिष्ट/अनुपयोगी/अनावश्यक घोषित भण्डार राजस्व में प्रभारित किये जाते है.

8.10 मुख्य भंडार से जारी की गयी तथापि वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त पड़ी सामग्री पुनः भण्डारों में दाखिल नहीं की जाती.

8.11 खुले औज़ार तथा उपकरण व मानक औज़ार जारी किये जाने के समय राजस्व में प्रभारित किये जाते हैं.

8.12 5 वर्षों से अधिक समय से अप्रयुक्त कच्चे माल और घटक, भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्ज़े, निर्माण सामग्री व खुले औज़ार जैसे इतिशेष सामग्री सूची से संबद्ध अनावश्यक सामग्री के अंतर्गत रखने का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त पूर्ण/विशेष परियोजनाओं और निस्तारण के लिए लंबित अतिरिक्त/अनावश्यक सामग्री जैसे सामग्री सूची के संबंध में भी "अनावश्यक सामग्री" के अंतर्गत डालने के यथावश्यक समुचित प्रावधान किये गये हैं.

9. विविध देनदार

सरकारी विभागों से संबद्ध विवादित/कालातीत ऋण-प्राप्यताओं को संदिग्ध ऋण नहीं माना जाता.

10. आपूर्तिकर्ताओं/बीमाकर्ताओं/संवाहकों/अन्यों पर दावे

आपूर्तिकर्ताओं/बीमाकर्ताओं/संवाहकों/अन्यों पर हानि/क्षति के दावे तब लेखांकित किये जाते हैं जब दावों का प्रवर्तन होता है. सरकारी विभागों से विवादित/कालातीत दावे संदिग्ध दावे नहीं माने जाते हैं.

11. विदेशी मुद्रा का अंतरण

सोवियत रूस (तत्कालीन) द्वारा की गयी आपूर्तियों से प्राप्त सेवाओं से संबंधित आस्थगित भुगतानों की और उन पर देय ब्याज की देयता, भारत सरकार तथा रूस की सरकार के बीच विदेशीधीकरण व्यवस्था के अंतर्गत आस्थगित भुगतान तथा तदुपरी ब्याज के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर आधारित है. अन्य मुद्राओं की स्थिति में, देयता तुलन-पत्र की प्रदत्त तारीख के प्रभावी विनिमय दर के आधार पर होती है. विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाला अंतर राजस्व में प्रभारित किया जाता है. पूँजीगत मदों के संबंध में समायोजन संपत्ति की लागत पर किया जाता है.

12. वर्तमान तथा आस्थगित कर के प्रावधान

वर्तमान कर का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य लाभ पर विचार करने के बाद किया जाता है. लेखित आय और कर देय के बीच "समयान्तर" के परिणामस्वरूप होने वाले आस्थगित कर को अधिनियमित या तुलन-पत्र की तिथि से मूलभूत रूप से अधिनियमित कर दरों तथा कानून के प्रयोग लेखांकित करने के लिए किया जाता है. आस्थगित कर संपत्ति उतनी ही आँकी और अग्रेषित की जाती है जितनी कि भविष्य में इससे वसूली की वास्तविक निश्चितता दिखाई देती है.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

भूतकालीन कार्यों से वर्तमान दायित्व के लिए एक प्रावधान किया गया है और इस दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी

जिसके लिए एक विश्वसनीय प्राक्कलन बनाया जा सकता है. प्रावधान वर्तमान मूल्य आधारित नहीं हो कर तुलन-पत्र की प्रवृत तिथि पर दायित्व निपटान के लिए आवश्यक सर्वोत्तम प्राक्कलन पर आधारित हैं तथा इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र प्रवृत तिथि पर समीक्षा कर वर्तमान सर्वोत्तम प्राक्कलन में दर्शाये जाते हैं. आकस्मिक देयताएँ वित्तीय विवरणिकाओं में नहीं लेकर टिप्पणियों में प्रकट की जाती हैं. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ, वित्तीय विवरणिकाओं में न ली जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं.

14. वारंटी

करार के अनुबंध एवं शर्तों के अनुसार जहाँ कहीं भी लागू हो बेचे गये उत्पादों पर वारंटी का प्रावधान किया गया है. वारंटी की शर्तें वर्तमान अवधि एवं अनुबंधों के आधार अनुसार यथावत रहेंगी.

15. बिक्री

15.1 जिन उत्पादों के संबंध में पूर्व-परीक्षण जरूरी होता है वहाँ परीक्षण के बाद स्वीकृत मात्रा के आधार पर बिक्री लेखांकित होती है.

15.2 अन्य सभी उत्पादनों के संबंध में स्वीकृति/प्रत्यक्ष प्रेषण के आधार पर बिक्री लेखांकित होती है.

15.3 जहाँ बिक्री-मूल्य निर्धारित नहीं हुआ वहाँ संभाव्य प्रापणीय मूल्य के आधार पर अंतिम बिक्री मूल्य निश्चित किया जाता है.

15.4 बिक्री-मूल्य में बिक्री-कर/वैट अपवर्जित होता है लेकिन उत्पाद शुल्क तथा सेवा-कर सम्मिलित होते हैं.

16. कर्मचारियों के लाभ

अल्पकालीन कर्मचारी लाभ :

16.1 अल्पकालीन कर्मचारी लाभ जैसे वेतन पारिश्रमिक (वेज) तथा अल्पकालीन अनुपस्थिति प्रतिपूर्तियाँ सेवाकालीन वर्ष के लाभ-हानि लेखों में बिना किसी रियायती दरों के शामिल किये गये हैं.

निर्धारण योगदान योजनाएँ :

16.2 कंपनी द्वारा दिये गये / देय कंपनी अनुमोदित सेवा-निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (REMI), कर्मचारी हितकारी निधि योजना (EBF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI), भविष्य निधि अधिनियम तथा पेंशन योजना के अंतर्गत देय भविष्य निधि योगदान राजस्व में प्रभारित किये जाते हैं.

निर्धारित लाभ योजनाएँ :

16.3 कंपनी की उपदान, छुट्टी वेतन योजनाएँ निर्धारित लाभ योजनाएँ हैं. उपदान संबंधी वर्तमान दायित्व का मूल्यांकन बीमांकित मूल्यांकन दर्शायी इकाई जमा पद्धति के प्रयोग के आधार पर किया जाता है, जिसमें सेवा की प्रत्येक अवधि पर एक अतिरिक्त इकाई कर्मचारी की लाभ अर्हता में जुड़ती है तथा प्रत्येक प्राक्कलित भविष्य नकदी की गणना करती है. बीमांकित लाभ-हानियाँ लाभ-हानि लेखों में शामिल किये गये हैं.

16.4 छुट्टी वेतन के वर्तमान दायित्व का प्रावधान बीमांकित आधारित है. बीमांकित लाभ-हानियाँ, लाभ-हानि लेखों में शामिल की गयी हैं.

16.5 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर जाने वाले कर्मचारियों को देय प्रतिपूर्ति का सेवा-निवृत्ति के वर्ष के लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

17. ब्याज

विभिन्न परियोजनाओं के वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने तक की अवधि के लिए लाये गये उधारों / ऋणों पर उपचित ब्याज का तकनीकी प्राक्कलन के आधार पर उत्पादन होने पर अपाकरण किया जाता है तथा जिसका अपाकरण नहीं होता उसे अग्रेषित कर दिया जाता है.

18. मूल्य-ह्रास

स्थायी परिसंपत्ति पर मूल्य-ह्रास सीधी लाईन-पद्धति से प्रभारित किया जाता है. मूल्य-ह्रास की दरें संबद्ध परिसंपत्ति की लागत उसके अनुमानित कार्यकाल (आयु) पर परिव्याप्त कर निकाली जाती है तथापि टाउनशिप की इमारतों के मूल्य-ह्रास की दरें लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किये गये मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के अनुसार स्वीकृत की गयी हैं. मूल्य-ह्रास का परिगणन 01.04.1991 से होता है. जिसमें संबद्ध परिसंपत्ति की सभी अभिवृद्धियाँ जो प्रयुक्ति/प्रभार की तारीख से ली जाती है. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित मूल्य-ह्रास की दरें लागू नहीं हैं, ये दरें उपर्युक्त अनुसूचियों में निर्धारित दरों से कम नहीं है.

19. लागत का न्यून अवशोषण/अत्यावशोषण

यदि एक वर्ष में निर्माण कार्यों पर लेबर और ओवर हेड लागत में अवप्रतिलब्धि/अधिप्रतिलब्धि की मात्रा उस वर्ष के निवल परिचालन व्यय से 0.5% से अधिक नहीं होती तो इन कार्यों पर इस लागत का न्यून अवशोषण/अत्यावशोषण का समायोजन नहीं किया जाता.

संलग्न 1 से 28 तक की टिप्पणियाँ तथा लेखा-नीतियाँ इन लेखाओं के अंगभूत अंश हैं.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप

कृते डी वी रमण राव ॲण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
पंजीकरण संख्या : 002918S

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एम वी शर्मा
(सदस्यता सं.205313)
भागीदार

स्थानः हैदराबाद
दिनांक : 29 अगस्त 2012

एस वी सुब्बाराव
निदेशक (वित्त)

स्थानः हैदराबाद
दिनांक : 29 अगस्त 2012

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

एम लक्ष्मीनारायण
कंपनी सचिव

वार्षिक लेखा
2011-12

31 मार्च 2012 का तुलन-पत्र

(₹ लाख)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2012 तक की स्थिति		31 मार्च 2011 तक की स्थिति	
ईक्विटी एवं देयताएँ					
शेयरधारकों की निधियाँ					
(ए) शेयर पूँजी	1	11500.00		11500.00	
(बी) आरक्षित एवं अधिशिष्ट निधि	2	61738.30		43704.94	
			73238.30		55204.94
गैर चालू देयताएँ					
(ए) दीर्घावधि देयताएँ	3	4889.88		5085.47	
(बी) दीर्घावधि प्रावधान	4	4966.51		3852.28	
			9856.39		8937.75
चालू देयताएँ					
(ए) देय ट्रेड	5	16285.73		17179.43	
(बी) अन्य चालू देयताएँ	6	522295.59		417374.54	
(सी) अल्पावधि प्रावधान	7	20041.03		12323.05	
			558622.35		446877.02
कुल			641717.04		511019.71
परिसंपत्तियाँ					
गैर चालू परिसंपत्तियाँ					
(ए) स्थायी परिसंपत्तियाँ					
(i) मूर्त परिसंपत्तियाँ	8	19495.16		9969.21	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	8	1672.10		4143.85	
(iii) निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	9	3924.98		2210.14	
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	9	622.16		-	
(बी) गैर-चालू निवेश	10	53.60		53.60	
(सी) आस्थगति कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	11	5444.73		2848.09	
(डी) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12	1230.42		2907.13	
(ई) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	13	4754.79		4944.98	
			37197.94		27077.00
चालू परिसंपत्तियाँ					
(ए) सामग्री-सूची	14	60257.12		50219.12	
(बी) प्राप्त ट्रेड	15	8839.19		4514.59	
(सी) नक़द एवं नक़द तुल्य	16	429507.98		402083.36	
(डी) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	17	95013.06		22664.32	
(ई) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	18	10901.75		4461.32	
			604519.10		483942.71
कुल			641717.04		511019.71

लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप
कृते डी वी रमण राव ॲण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
पंजीकरण संख्या : 002918S

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एम वी शर्मा
(सदस्यता सं.205313)
भागीदार

एस वी सुब्बाराव
निदेशक (वित्त)

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान: हैदराबाद
दिनांक : 29 अगस्त 2012

स्थान: हैदराबाद
दिनांक : 29 अगस्त 2012

एम लक्ष्मीनारायण
कंपनी सचिव

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(₹ लाख)

विवरण	टिप्पणी सं.	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
आय :					
परिचालन से प्राप्त राजस्व :					
उत्पादन बिक्री	19		92485.57		92419.40
सेवा बिक्री	19		3426.60		1496.44
			95912.17		93915.84
घटाव : सीमा शुल्क			74.69		84.00
सेवा कर			267.34		128.20
निवल बिक्री			95570.14		93703.64
अन्य आय	20		46271.77		14170.44
कुल राजस्व			141841.91		107874.08
व्यय :					
खपत सामग्री की लागत	21		63353.03		58014.18
प्रत्यक्ष व्यय			65.17		24.21
तैयार माल की सामग्री-सूची में परिवर्तन निर्माणाधीन कार्य, कार्यगत भंडार	22		(3381.98)		2817.55
कर्मचारी लाभकारी व्यय	23		24032.12		23453.28
वित्त लागत			19.92		6.77
मूल्यह्रास एवं क्रमिक अपाकरण व्यय	9		5024.65		3634.60
अन्य व्यय	24		10686.16		7779.48
प्रावधान	25		8441.65		4922.42
कुल व्यय (सकल)			108240.72		100652.49
घटाव : पूँजीगत लेखा से संबंधित व्यय	26		1218.03		694.96
कुल व्यय (निवल)			107022.69		99957.53
कर पूर्व लाभ			34819.22		7916.55
कर व्यय					
चालू कर - पूर्व वर्ष		32.02		26.39	
चालू वर्ष		13887.96		3845.52	
आस्थगित कर		(2596.64)		(1125.67)	
			11323.34		2746.24
अवधि के लिए लाभ (हानि)			23495.88		5170.31
अंकित मूल्य ₹1000/- प्रति ईक्विटी शेयर पर अर्जन :					
मूल तथा विलयित (₹ में)	27		2043.12		449.59

लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं.

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप
कृते डी वी रमण राव ॲण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
पंजीकरण संख्या : 002918S

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एम वी शर्मा
(सदस्यता सं.205313)
भागीदार

एस वी सुब्बाराव
निदेशक (वित्त)

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थानः हैदराबाद
दिनांक : 29 अगस्त 2012

स्थानः हैदराबाद
दिनांक : 29 अगस्त 2012

एम लक्ष्मीनारायण
कंपनी सचिव

31 मार्च 2012 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2012 तक की स्थिति		31 मार्च 2011 तक की स्थिति	
1	शेयर पूँजी				
	प्राधिकृत				
	₹1,000 प्रति शेयर मूल्य के 12,50,000 शेयर के लिए		12500.00		12500.00
	जारी किए गए, अंशदत्त एवं अभिदत्त				
	प्रति शेयर ₹1,000 रुपये मूल्य के 11,50,000				
	ईक्विटी शेयर पूर्णतः प्रदत्त		11500.00		11500.00
			11500.00		11500.00
	5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों का विवरण	100% शेयर भारत सरकार द्वारा लिये जाते हैं		100% शेयर भारत सरकार द्वारा लिये जाते हैं	
2	प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि				
	प्रारक्षित पूँजी				
	विगत तुलन-पत्र के अनुसार	19.53		19.53	
	जोड़ : वर्ष के दौरान वृद्धि	0.03		-	
	तुलन-पत्र की तिथि पर इति शेष		19.56		19.53
	सामान्य प्रारक्षित				
	विगत तुलन-पत्र के अनुसार	43641.66		41141.66	
	जोड़ : लाभ-हानि विवरण से हस्तांतरण	18000.00		2500.00	
	तुलन-पत्र की तिथि पर इतिशेष		61641.66		43641.66
	अधिशेष				
	विगत तुलन-पत्र के अनुसार	43.75		46.56	
	जोड़ : लाभ-हानि विवरण से हस्तांतरण	23495.88		5170.31	
		23539.63		5216.87	
	घटाव : विनियोजन				
	प्रस्तावित लाभांश	4700.05		2300.00	
	प्रस्तावित लाभांश पर कर	762.47		373.12	
	प्रारक्षित पूँजी को हस्तांतरण	0.03		-	
	सामान्य प्रारक्षित को हस्तांतरण	18000.00		2500.00	
	तुलन-पत्र की तिथि पर इतिशेष		77.08		43.75
			61738.30		43704.94
2.1	प्रारक्षित पूँजी में वर्ष के दौरान अंकित मूल्य (₹ में) पर ग्राहकों द्वारा मुफ्त में हस्तांतरित परिसंपत्तियों का मूल्य शामिल है.		1		115
3	दीर्घावधि परिसंपत्तियाँ				
	देय ट्रेड - 45 वर्ष के घटकों के लिए				
	आस्थगित ऋण		4889.88		5085.47
			4889.88		5085.47
4	दीर्घावधि प्रावधान				
	कर्मचारी हित के लिए प्रावधान				
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		414.76		296.02
	प्रोद्भूत अवकाश		4551.75		3556.26
			4966.51		3852.28

31 मार्च 2012 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2012 तक की स्थिति	31 मार्च 2011 तक की स्थिति
5	व्यापारिक देयताएँ		
	अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम	210.14	388.49
	आस्थगित देयताओं की चालू अवधि समाप्ति	262.78	-
	अन्य व्यापारिक देयताएँ	15812.81	16790.94
		16285.73	17179.43
5.1	बहुत छोटी, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम के अंतर्गत जानकारी		
i)	वर्ष की समाप्ति पर पूर्तिकर्ता के लिए बाकी मूल धन एवं ब्याज अप्रदत्त	210.14	388.49
ii)	लेखा वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद पूर्तिकर्ता के लिए भुगतान की गई राशि सहित ब्याज राशि	-	-
iii)	भुगतान में की गई विलंब की अवधि के लिए देय एवं बकाया ब्याज राशि (अधिनियम में निर्धारित ब्याज केबिना नियत तिथि के बाद किया गया भुगतान).	2.35	3.52
6	अन्य चालू देयताएँ		
	भारत सरकार से अग्रिम	441754.27	397948.25
	अन्य अग्रिम	65511.14	5368.58
	जमा राशियाँ	699.02	429.61
	अन्य देयताएँ	14331.16	13628.10
		522295.59	417374.54
7	अल्पावधि प्रावधान		
	कर्मचारी के लिए लाभकारी प्रावधान		
	उपचित अवकाश के लिए प्रावधान	302.89	290.26
	अन्य प्रावधान		
	वारंटी	1616.15	1669.22
	परिसमापन क्षतियाँ	12519.43	7690.45
	प्रस्तावित लाभांश	4700.05	2300.00
	प्रस्तावित लाभांश पर कर	762.47	373.12
	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व	140.04	-
		20041.03	12323.05

31 मार्च 2012 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

8. स्थायी परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख)

विवरण	सकल निरुद्ध				मूल्य ह्रास/क्रमिक अपाकरण				निवल मालियत	
	वर्ष के आरंभ में लागत स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर कुल लागत स्थिति	वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यह्रास / क्रमिक अपाकरण	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ क्रमिक अपाकरण $	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर संचित मूल्य ह्रास / क्रमिक अपाकरण	31 मार्च 2012 की स्थिति	31 मार्च 2011 की स्थिति
मूर्त परिसंपत्तियाँ										
भूमि @ - पूर्ण स्वामित्व	662.80	2504.28		**3167.08**					**3167.08**	662.80
- पट्टे पर		3776.60		**3776.60**					**3776.60**	
इमारतें *	7657.82	1005.67		**8663.49**	3974.49	240.62		**4215.11**	**4448.38**	3683.33
तार घेरा तथा चार दीवारी	579.12	12.85		**591.97**	308.74	22.80		**331.54**	**260.43**	270.38
सड़कें तथा नालियाँ	741.05	7.06		**748.11**	425.12	29.08		**454.20**	**293.91**	315.93
जल आपूर्ति व्यवस्था	575.48	27.76		**603.24**	555.26	5.22		**560.48**	**42.76**	20.22
संयंत्र, मशीनरी तथा उपस्कर #	19813.50	3023.34	463.03	**22373.81**	16171.33	935.26	461.78	**16644.81**	**5729.00**	3642.17
फर्नीचर एवं	1229.63	161.85	2.50	**1388.98**	937.40	73.69	1.18	**1009.91**	**379.07**	292.23
उपकरण	394.23	76.06		**470.29**	240.25	35.34		**275.59**	**194.70**	153.98
परिवहन वाहन	10197.50	616.00		**10813.50**	9269.33	340.94		**9610.27**	**1203.23**	928.17
विशेष औज़ार एवं उपकरण										
कुल	**41851.13**	**11211.47**	**465.53**	**52597.07**	**31881.92**	**1682.95**	**462.96**	**33101.91**	**19495.16**	**9969.21**
विगत वर्ष	39408.29	2474.71	31.88	41851.12	29804.41	2109.39	31.88	31881.92	9969.20	9603.88
अमूर्त परिसंपत्तियाँ										
विकास व्यय	6878.11	763.81		**7641.92**	2762.34	3291.51		**6053.85**	**1588.07**	4115.77
कंप्यूटर साफ्टवेयर	79.06	106.14		**185.20**	50.98	50.19		**101.17**	**84.03**	28.08
कुल	**6957.17**	**869.95**		**7827.12**	**2813.32**	**3341.70**	-	**6155.02**	**1672.10**	**4143.85**
विगत वर्ष	6006.17	951.01		6957.18	1288.11	1525.21		2813.32	4143.86	4718.05
कुल योग	**48808.30**	**12081.42**	**465.53**	**60424.19**	**34695.24**	**5024.65**	**462.96**	**39256.93**	**21167.26**	**14113.06**
विगत वर्ष	45414.46	3425.72	31.88	48808.30	31092.52	3634.60	31.88	34695.24	14113.06	14321.93

@ (i) भारत सरकार के संगठन को 5 एकड़ तथा 01 गुण्टा भूमि लीज़ पर दी गई और इस पर उनका स्वामित्व है.

(ii) 356 एकड़ तथा 24 गुंटा की भूमि (विगत वर्ष 356 एकड़ तथा 24 गुंटा) राज्य सरकार से मुफ्त में प्राप्त 151 एकड़ 33 गुंटा की भूमि भी इसमें शामिल है. यह भूमि ₹443.41 लाख (विगत वर्ष ₹443.41 लाख) में पूँजीगत की गई और यह राशि कंपनी द्वारा भुगतान की जा चुकी है.

(iii) इब्राहिमपट्टणम में 438 एकड़ 14 गुंटा की भूमि के लिए ₹2673.94 लाख की राशि भुगतान की गई. 404 एकड़ 12.50 गुंटा की ज़मीन के लिए स्वामित्व लिया गया. अनुपातीय मूल्य ₹2466.31 लाख की राशि पूँजीगत की गई.

(iv) लीज करार कर भूमि पर स्वामित्व प्राप्त करने के बाद एम आई डी सी से अमरावती में लीज़ पर प्राप्त 533 एकड़ की ज़मीन के लिए ₹3776.60 लाख की राशि पूँजीगत की गई.

* जिस पर कंपनी की माल्कियत नहीं है, ऐसी भूमि पर निर्मित इमारतों का मूल्य ₹111.01 (विगत वर्ष ₹111.01) लाख सम्मिलित है.

₹ 70.18 लाख (विगत वर्ष ₹185.23 लाख) सकल मूल्य की सक्रिय उपयोग में अनुपयुक्त सामग्री मदें सम्मिलित

सरकार द्वारा मुफ्त में हस्तांतरित परिसंपत्तियाँ वर्तमान वर्ष के लिए ₹1 के अंकित मूल्य से ली गई. (विगत वर्ष ₹115)

31 मार्च 2012 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2012 तक की स्थिति	31 मार्च 2011 तक की स्थिति
8.1	चूँकि कंपनी द्वारा अपनायी जाने वाली दरें अधिक हैं, इसलिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा XIV में निर्धारित मूल्य-ह्रास की दरें अपनायी नहीं जा रही हैं. धारा XIV की दरों के अलावा अपनायी जाने वाली दरों का प्रतिशत इस प्रकार है - (ए) इमारतें : 3.50/8.00/2.00/4.00/13.00 (बी) संयंत्र एवं मशीनरी : 13.00/15.00/17.00 (सी) फर्नीचर, फिक्चर्स एवं अन्य उपकरण : 6.50/13.00/15.00		
9	निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य एवं विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		
	निर्माणाधीन कार्यगत पूँजी	3924.98	2210.14
	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	622.16	-
		4547.14	2210.14
9.1	पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य शीर्ष के अंतर्गत 40.09 लाख रुपये (पिछले वर्ष 40.09 लाख रुपये) मूल्य की इमारतें सम्मिलित हैं जिनका निर्माण आस्थगित रखा गया है. विवादित ज़मीन संबंधी मामलों के लिए उप जिलाधीश तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद इस उत्पन्न विवाद के वास्तविक तथ्य को जानने के लिए सहायक निदेशक, सर्वेक्षण, निपटान तथा लैंड रिकॉर्ड्स, रंगारेड्डी से रिपोर्ट प्राप्ति के बाद कंपनी द्वारा लेखा पुस्तिकाओं में आवश्यक समायोजन किया जाएगा.		
10	लागत पर गैर-चालू निवेश		
	(गैर-व्यापारिक / असूचित दर) 9,21,920 (3,85,920 बोनस शेयर सहित) पूर्णतः भुगतान किया गया आंध्रप्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड के रु.10 प्रति शेयर के ईक्विटी शेयर	53.60	53.60
		53.60	53.60
11	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		
	आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं का विवरण (लेखा मानक 22 के अनुसार) इस प्रकार है :		
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
ए)	प्रावधान	5267.83	3592.40
बी)	धारा 43 बी अस्वीकरण	1274.01	841.30
सी)	मूल्यह्रास तथा संबंधित मदें	62.85	-
डी)	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति क्रमिक अपाकरण	-	0.46
		6604.69	4434.16
	आस्थगित कर देयताएँ		
ए)	मूल्यह्रास तथा संबंधित मदें		559.45
बी)	आस्थगित राजस्व व्यय	1159.96	1026.62
		1159.96	1586.07
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयता)	5444.73	2848.09
12	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		
	ए) प्रतिभूत - शोध्य		
	ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	214.97	173.76
	बी) अप्रतिभूत - शोध्य		
	पूँजीगत अग्रिम	924.98	2673.94
	ऋण एवं अग्रिम - कर्मचारी	90.47	59.43
		1230.42	2907.13

31 मार्च 2012 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2012 तक की स्थिति		31 मार्च 2011 तक की स्थिति	
13	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ				
	अप्रतिभूत, शोध्य				
	आस्थगित ऋण		4754.79		4944.98
			4754.79		4944.98
14	सामग्री-सूची *				
	(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अनुसार)				
	कच्चा माल तथा घटक	35193.30		29312.16	
	घटाव : निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान	545.63		458.05	
	कच्चे माल तथा घटकों के लिए मार्गस्थमाल	2951.22		2058.07	
			37598.89		30912.18
	निर्माणाधीन कार्य	21244.00		17864.70	
	घटाव : निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान	53.66		53.66	
			21190.34		17811.04
	तैयार माल	153.29		150.61	
	घटाव : निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान	15.09		15.09	
			138.20		135.52
	भण्डारण तथा अतिरिक्त पुर्जे	801.84		861.76	
	घटाव : निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान	152.41		133.81	
	मार्गस्थ माल का भण्डारण तथा अतिरिक्त पुर्जे	16.00		20.20	
			665.43		748.15
	शिथिल औज़ार	805.11		737.90	
	घटाव : निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान	193.97		177.15	
	शिथिल औज़ार का मार्गस्थ माल	8.21		25.72	
			619.35		586.47
	अन्य				
	निर्माण सामग्री	21.95		1.26	
	घटाव : निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान	1.26		1.26	
	निर्माण सामग्री का मार्गस्थ माल	-		-	
			20.69		
	भण्डारण तथा उपकरण - कल्याण	204.56		190.29	
	घटाव : क्रमिक अपाकरण	199.14		182.10	
			5.42		8.19
	विविध भण्डार		18.80		17.57
			60257.12		50219.12
	* उप-ठेकेदारों तथा अन्यों के लिए जारी सामग्री भी सम्मिलित		3523.39		3813.66
15	ट्रेड प्राप्तियाँ				
	अप्रतिभूत - शोध्य				
	छह महीने से अधिक के लिए बकाया ऋण		1980.51		1420.30
	अन्य ऋण				
	ग्राहक		6603.16		3094.29
	आस्थगित ऋणों की चालू अवधि समाप्ति		255.52		-
			8839.19		4514.59

31 मार्च 2012 तक की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2012 की स्थिति		31 मार्च 2011 की स्थिति	
16	नक़द तथा नक़द तुल्य				
	बैंकों में इति शेष :				
	चालू खाते से संबद्ध	2200.46		1811.93	
	अल्पावधि निक्षेपों से संबद्ध	427300.90		400263.30	
			429501.36		402075.23
	नक़द राशि		5.77		7.42
	अग्रदाय धारकों के पास राशि		0.85		0.71
			429507.98		402083.36
17	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम				
	ए) प्रतिभूत - शोध्य माल				
	संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम		-		-
	माल एवं सेवाएँ		11785.08		5920.66
	बी) अप्रतिभूत - शोध्य माल				
	संबंधित पार्टियों को ऋण एवं अग्रिम		-		-
	माल एवं सेवाएँ	79460.26		12462.45	
	घटाव : संदिग्ध दावे के लिए प्रावधान	0.41		0.41	
			79459.85		12462.04
	कर्मचारी		66.90		69.15
	प्राप्त दावे	2151.00		2501.39	
	घटाव : संदिग्ध दावे के लिए प्रावधान	61.77		65.80	
			2089.23		2435.59
	पूर्वप्रदत्त व्यय		53.15		23.09
	निक्षेप		202.49		185.31
	अग्रिम आय कर (निवल)		156.81		542.34
	अग्रिम सेवा कर		1199.55		943.54
	प्राप्य सेनवैट		-		11.42
	प्राप्य सेवा कर		-		71.18
			95013.06		22664.32
18	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ				
	उपचित ब्याज लेकिन बकाया नहीं				
	- अल्पावधि निक्षेप		10848.16		4359.73
	- अन्य		53.59		101.59
			10901.75		4461.32

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
19	परिचालन से प्राप्त राजस्व				
	उत्पादों की बिक्री				
	तैयार माल	86626.92		84799.97	
	अतिरिक्त पुर्जे	3751.81		5135.46	
	विविध	2106.84		2394.83	
			92485.57		92330.26
	सेवाओं की बिक्री				
	मरम्मत एवं ओवरहॉल्स	918.06		461.10	
	प्रशिक्षण	10.80		3.60	
	जॉब वर्क	2497.74		1031.74	
			3426.60		1496.44
	अन्य परिचालन राजस्व				
	रद्दी की बिक्री		-		6.26
	पूर्वावधि मदें		-		82.88
	सकल बिक्री		95912.17		93915.84
20	अन्य आय				
	ब्याज :				
	अल्पावधि निक्षेप		40281.93		10494.52
	विविध अग्रिम - कर्मचारी तथा अन्य		60.86		132.24
	अन्य निक्षेपों पर		6.53		4.61
	परिवहन - कर्मचारी		15.68		15.92
	अतिरिक्त माल/अवशिष्ट भण्डार का निपटान		31.42		9.46
	टॉउन शिप		140.24		126.43
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)		47.48		6.11
	दीर्घावधि तक आवश्यक नहीं, ऐसे प्रावधान		3287.99		2999.56
	देयताओं की वापसी		65.96		5.37
	आपूर्तिकर्ताओं से परिसमापन क्षतियों की वसूली		2181.69		107.59
	विदेश मुद्रा लेन-देन पर निवल लाभ		60.11		41.01
	विविध		91.88		227.62
			46271.77		14170.44
21	उपभुक्त सामग्री की लागत				
	भण्डार का अथशेष		30913.08		31814.68
	जोड़ : क्रय		74618.22		63714.64
			105531.30		95529.32
	घटाव : भण्डार का इतिशेष		36822.21		30913.08
			68709.09		64616.24
	घटाव : भण्डार की प्रयुक्ति				
	आस्थगित राजस्व व्यय		63.57		39.39
	उपकरण एवं जिग्स		14.94		44.10
	पूँजीगत कार्य		1.36		0.56
	व्यय लेखा एवं अन्य परिसंपत्तियाँ		5276.19		6518.01
			5356.06		6602.06
			63353.03		58014.18

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
22	तैयार माल तथा निर्माणाधीन कार्य की सामग्री सूची में परिवर्तन (वृद्धि) / अपवृद्धि		
	अथशेष		
	(i) निर्माणाधीन कार्य	17864.70	20682.05
	(ii) तैयार माल	150.61	150.81
		18015.31	20832.86
	इति शेष		
	(i) निर्माणाधीन कार्य	21244.00	17864.70
	(ii) तैयार माल	153.29	150.61
		21397.29	18015.31
	(वृद्धि) / अपवृद्धि	(3381.98)	2817.55
23	कर्मचारी लाभकारी खर्च		
	वेतन तथा मजदूरी	20867.72	19578.71
	भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	2200.95	2974.65
	कर्मचारी कल्याण खर्च	963.45	899.92
		24032.12	23453.28
23.1	पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक	97.38	108.90
23.2	उपदान के संबंध में संशोधित लेखों के मानक 15 के प्रावधान के अनुसार सूचना निम्नप्रकार है :	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
1	धारणाएँ		
ए)	रियायती दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%
बी)	वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	6.00%	6.00%
2	दायित्व के वर्तमान दर में परिवर्तन दर्शाती तालिका		
ए)	वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान दर	8004.54	6985.31
बी)	ब्याज लागत	640.36	558.82
सी)	वर्तमान सेवा लागत	294.36	281.69
डी)	वास्तविक - प्रदत्त लाभ	687.42	1465.40
ई)	वर्ष के अंत तक संभावित देयताएँ	8251.84	6360.42
एफ)	वर्ष के अंत तक दायित्व का वर्तमान दर	8807.24	8004.54
जी)	वास्तविक लाभ / (हानि)	(555.40)	(1644.12)
3	योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
ए)	वर्ष के प्रारंभ में योजित	7002.92	5393.01
बी)	योजित परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	748.49	628.41
सी)	अंशदान	1650.35	2446.90
डी)	प्रदत्त लाभांश	687.42	1465.40
ई)	योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ / (हानि)	-	-
एफ)	वर्ष के अंत तक योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	8714.34	7002.92

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
4	**योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य की तालिका**		
ए)	वर्ष के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	7002.92	5393.01
बी)	योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति	748.49	628.41
सी)	अंशदान	1650.35	2446.90
डी)	प्रदत्त लाभांश	687.42	1465.40
ई)	वर्ष के अंत तक योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	8714.34	7002.92
एफ)	आबंटित निधि की स्थिति	(92.90)	(1001.62)
जी)	योजित परिसंपत्तियों की अनुमानित प्राप्तियों पर वास्तविक आधिक्यता	-	-
5	**वास्तविक हानि या प्राप्ति**		
ए)	वर्ष के लिए दायित्व - वास्तविक हानि	(555.40)	(1644.12)
बी)	वर्ष के लिए योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक हानि	-	-
सी)	वर्ष के लिए कुल हानि	(555.40)	(1644.12)
डी)	सूचित वास्तविक हानि	(555.40)	(1644.12)
6	**तुलन-पत्र में सूचित राशि**		
ए)	वर्ष के अंत तक दायित्व का वर्तमान मूल्य	8807.24	8004.54
बी)	वर्ष के अंत तक योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	8714.34	7002.92
सी)	आबंटित निधि की स्थिति	(92.90)	(1001.62)
डी)	तुलन-पत्र में सूचित निवल देयता / परिसंपत्ति	(92.90)	(1001.62)
7	आकलित खर्च लाभ-हानि खाते का विवरण		
ए)	वर्तमान सेवा लागत	294.36	281.69
बी)	ब्याज लागत	640.36	558.82
सी)	योजित परिसंपत्तियों पर संभावित प्राप्ति	748.49	628.41
डी)	वर्ष के दौरान आकलित निवल वास्तविक लाभ / (हानि)	(555.40)	(1644.12)
ई)	लाभ हानि खाते में आकलित व्यय	741.63	1856.22
23.3	**क्षतिपूरक अनुपस्थितियाँ**		
	कंपनी के कर्मचारियों की संचित अनुपस्थितियों की वास्तविक देयता	4,854.64	3,846.52
	रियायती दर	8.00%	8.00%
	वेतनवृद्धि दर	6.00%	6.00%
	सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष
23.4	**सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना**		
	वर्ष के दौरान दिया गया योगदान	11.02	8.76
23.5	परिवर्तनाधीन अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ की वर्तमान योजना के लिए अंशदान की चालू देयताएँ एवं प्रावधान (अनुसूची 13) एवं प्रावधान (अनुसूची 21) में शामिल किया गया है.	118.75	75.94

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
24	अन्य व्यय		
	वर्कशापों से संबद्ध आपूर्ति	568.68	306.95
	बिजली तथा ईंधन	906.49	709.86
	पानी का प्रभार	222.77	126.78
	यात्राएँ #	698.44	394.23
	मरम्मत :		
	इमारतें	830.32	793.49
	संयंत्र, मशीनरी तथा उपस्कर	615.51	652.97
	फर्नीचर तथा उपस्कर	9.53	2.95
	वाहन	15.74	16.98
	अन्य	1.87	1.60
	वाहन व्यय - पेट्रोल तथा डीज़ल	61.43	48.48
	शिथिल औज़ार तथा उपस्कर	174.55	119.99
	बीमा	104.29	77.89
	दरें तथा कर	87.23	134.55
	डाक, तार, टेलेक्स तथा टेलीफोन	115.25	107.58
	मुद्रण तथा लेखन-सामग्री	87.43	70.20
	प्रचार-प्रसार	114.55	47.75
	विज्ञापन	132.29	97.55
	बैंक प्रभार	99.20	40.42
	विधि व्यय	3.37	5.36
	दान	0.10	0.10
	बट्टा खाता :		
	अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण		0.31
	अन्य	2.28	3.92
	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक :		
	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	3.50	2.00
	कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.20	0.20
	सेवा शुल्क	0.46	0.23
	दस्तावेजीकरण शुल्क तथा व्यय	0.22	0.44
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि (निवल)	-	-
	सुरक्षा व्यवस्था	1769.23	1238.27
	परिसमापन क्षतियाँ	2009.20	1301.13
	कंप्यूटर साफ्टवेयर तथा विकास	2.45	2.63
	मनोरंजन	0.39	0.14
	शिष्टाचार	96.61	123.53
	निदेशकों का प्रतिभागिता शुल्क	3.55	0.35
	आई ई एम का प्रतिभागिता शुल्क	1.50	-
	विविध परिचालन व्यय	1941.91	1350.65
	पूर्वावधि मदें	5.62	-
		10686.16	7779.48
# 24.1	निदेशकों का यात्रा व्यय सम्मिलित है	113.51	68.39
25	प्रावधान		
	प्रतिस्थापन व अन्य प्रभार, वारंटी तथा बैच अस्वीकृतियाँ	820.14	974.24
	निष्प्रयोजनीयता प्रावधान	548.54	417.19
	परिसमापन क्षतियाँ	6814.18	3455.05
	सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	118.75	75.94
	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व	140.04	-
		8441.65	4922.42

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
26	पूँजीगत एवं अन्य लेखों से		
	संवद्ध व्यय		
	आस्थगित राजस्व व्यय	402.05	322.75
	टूल्स व जिग्स	510.64	330.19
	अन्य	305.34	42.02
		1218.03	694.96
27	प्रति शेयर अर्जन :		
	ए एस-20 के अनुसार परिकलित प्रति शेयर (मूल) अर्जन		
	कराधान के बाद निवल लाभ	23495.88	5170.31
	प्रति शेयर ₹1000/- अंकित मूल्य के पूर्णत:	1150000	1150000
	प्रदत्त ईक्विटी शेयरों की संख्या :		
	मूल तथा विलयित अर्जन प्रति शेयर (₹ में)	2043.12	449.59
	संविलयन संभाव्य ईक्विटी शेयर नहीं हैं		
28	अनिवार्य प्रकटीकरण		
	अप्रावधानित आकस्मिक देयताओं के लिए :		
28.01	ऋण तथा प्रत्याभूतियों के बकाया साख-पत्र		
	(i) साख-पत्र	22367.88	9840.31
	(ii) प्रत्याभूतियाँ और प्रति-प्रत्याभूतियाँ	11.89	32.92
	कुल	22379.77	9873.23
28.02	कंपनी के विरुद्ध जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया ऐसे दावे/ऐसी माँगें		
	(i) बिक्री कर	14449.88	14449.88
	(ii) सेवा कर	89.89	-
	(ii) अन्य	380.19	1022.44
	कुल	14919.96	15472.32
28.03	पूँजीगत लेखों के अंतर्गत बकाया निष्पादित लेखों की अनुमानित राशि तथा अप्रावधानित के लिए	8209.41	2911.38

28.04 दिनांक 08 फरवरी 2011 की अधिसूचना सं. एस ओ 301 (ई) के तहत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की षष्टम् अनुसूची के द्वितीय भाग के परिच्छेद 3 (i) (ए), 3 (ii) (ए), 3 (ii) डी, 4-सी, 4-डी (ए) से (ई) तक (डी) छोड़कर के अनुपालन की छूट दी है.

लेखा मानकों से संबंधित प्रकटीकरण :

28.05 एक लाख रुपय से अधिक के पूर्वावधि लेन-देन (ए एस-5) के प्रत्येक मामले को लेखाओं में यथावत् प्रकट किया गया है. इस तरह के लेन-देन से वर्ष के लाभ में अपवृद्धि ₹5.62 लाख (पिछले वर्ष में ₹82.88 लाख की वृद्धि) जो निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
			लाभांश में कमी	लाभांश में वृद्धि	लाभांश में कमी	लाभांश में वृद्धि
1	बिक्री	19	-	-	-	82.88
2	अन्य व्यय	24	5.62	-	-	
	कुल		5.62	-	-	82.88
	लाभ पर निवल प्रभाव —> वृद्धि/(अपवृद्धि)			(5.62)		82.88

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

टिप्पणी सं.	विवरण	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
28.06	ए एस-11 के अनुसार विदेश विनिमय दर में हुए परिवर्तन का प्रभाव		
ए)	वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में समायोजित विभेदक विनिमय दर की राशि	1.37	(0.75)
बी)	पूँजी परिसंपत्तियों के संबंध में लाभ-हानि लेखा में सूचित विनिमय दर विचलन	-	-
सी)	आस्थगित ऋण का पुनर्निर्धारित भाग संलेख पर लागू विनिमय-दर पर मूल्यांकित है. विनिमय दर विचलन का इस पर प्रभाव :		
	i) कंपनी से संबंधित बढ़ी देयताएँ	46.40	48.26
	ii) ग्राहक की देयता को देय लेखा में समान राशि के प्राप्य दावों के साथ दर्शाया गया है जो कि कंपनी पर हस्तांतरित नहीं है.	1633.19	1746.78
डी)	आस्थगित देयताओं में भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार अनुपार्जित ब्याज के रूप में सम्मिलित है.	-	-

28.07 संव्यवहार की प्रकृति तथा प्रकटन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यही विवेकशील समझा गया कि ए एस 17 के अनुसार आवश्यक सेगमेंट रिपोर्टिंग की जानकारी का प्रकटन न किया जाए. इस प्रकार के अप्रकटन से कंपनी लेखों पर किसी प्रकार का वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है.

28.08 संबंधित पार्टी से लेन देन (ए एस 18) का विवरण निम्नानुसार है:

पार्टी का नाम	संबंध	लेनदेन	चालू वर्ष	विगत वर्ष
सार्वजनिक उद्यम हैदराबाद	श्री आर के मिश्र, स्वतंत्र निदेशक तथा आई पी ई के निदेशक	i) संरक्षक सदस्यता	8.00	-
		ii) कैंपस के लिए वित्तीय सहयोग	10.00	-
		iii) प्रशिक्षण, संगोष्ठी, पाठ्यक्रम शुल्क आदि	5.06	4.02
		कुल	23.06	4.02

संबंधित अनुसूची 23 एवं 24 में दर्शायी गयी जानकारी के अनुसार केवल पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक को छोड़कर किसी भी संबद्ध पार्टी के साथ लेन-देन नहीं किया है.

28.09 उत्पाद सुधार सहित अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया व्यय संबंधित समरूप लेखा शीर्षों में प्रभारित किया गया है.

	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
राजस्व व्यय के रूप में	1020.00	1085.64
पूँजीगत व्यय के रूप में (पूँजीगत परिसंपत्तियाँ)	488.50	67.64

		31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
28.10	वर्ष के दौरान ए एस 28 के अनुसार इंपेर्मेंट हानि पायी गयी	शून्य	शून्य

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

28.11 प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएँ - ए एस - 29 के अनुसार आवश्यकता का प्रकटीकरण इस प्रकार है

चालू वर्ष

क्र. सं.	प्रावधान का प्रकार	वर्ष के आरंभ का अथशेष	वर्ष के दौरान रखा गया प्रावधान	वर्ष के दौरान प्रयुक्ति	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत का इति शेष
1	वारंटी	1669.23	820.15	-	873.22	1616.16
2	परिसमापन क्षति	7690.45	6814.18	1868.00	117.20	12519.43
3	अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ	296.02	118.74	-	-	414.76
4	अनावश्यक	839.02	548.54	-	425.54	962.02
5	संदिग्ध अग्रिम / दावे	66.21	-	-	4.03	62.18
6	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व	-	155.11	15.07	-	140.04
		10560.93	8456.72	1883.07	1419.99	15714.59

विगत वर्ष

क्र. सं.	प्रावधान का प्रकार	वर्ष के आरंभ का अथशेष	वर्ष के दौरान रखा गया प्रावधान	वर्ष के दौरान प्रयुक्ति	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के अंत का इति शेष
1	वारंटी	1541.27	974.24	-	846.28	1669.23
2	परिसमापन क्षति	5721.44	3455.05	723.09	762.95	7690.45
3	अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ	220.08	75.94	-	-	296.02
4	अनावश्यक	1088.85	417.19	0.28	666.74	839.02
5	संदिग्ध अग्रिम / दावे	66.21	-	-	-	66.21
		8637.85	4922.42	723.37	2275.97	10560.93

टिप्पणी 28.01 एवं 28.02 में संदर्भित आकस्मिक देयताएँ संविदा दायित्वों की शर्तों पर, आक्रमण, संबंधित पार्टियों द्वारा उठायी जाने वाली माँगों तथा न्यायालय/विवेचन/कोर्ट के बाहर के समझौते/अपीलों के निपटान पर आधारित हैं.

अन्य प्रकटीकरण

28.12 ठेके का निष्पादन नहीं होने पर ब्याज सहित अग्रिम राशि आदि की वसूली के लिए कंपनी ने पूर्तिकर्ता पर कानूनी कार्रवाई की है. कंपनी के नाम राशि ₹48.10 लाख के लिए जिला न्यायालय ने डिग्री जारी किए जाने पर भी यह राशि प्राप्य दावे/आय के रूप में नहीं मानी जाएगी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से पूर्तिकर्ता को डिग्री के प्रचालन पर स्टे प्राप्त हुई है और आज तक वह मामला न्यायाधीन है.

28.13 देनदार और लेनदारों, प्राप्य दावे, ठेकेदारों/उप ठेकेदारों के पास पड़ी सामग्री, अग्रिम, निक्षेप तथा अन्य मदों के संबंध में अधिशेष की पुष्टि संबंधी अनुरोध पत्र भेजे जा चुके हैं. प्राप्त उत्तरों के आधार पर यथावश्यक आमेलन/प्रावधान/समायोजन किए जा रहे हैं.

28.14 ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम ₹42454.91लाख (पिछले वर्ष ₹42686.39) की राशि में से कंपनी ने दो परियोजनाओं के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं को विशेष यंत्र एवं उपकरणों की खरीद तथा सामग्री संग्रहण के लिए भुगतान किया है. इसमें ₹114.05 लाख (पिछले वर्ष 114.05 लाख) राशि के विशेष यंत्र एवं उपकरण (अनुसची 6) शामिल हैं, आपूर्तिकर्ताओं के नामे चालू परिसंपत्तियाँ व ऋण तथा अग्रिम (अनुसूची 14 से 18) मिलाकर ₹11014.16 लाख (पिछले वर्ष ₹11014.16 लाख) तथा ₹8574.88 लाख (पिछले वर्ष ₹7906.73 लाख) सामग्री संग्रहण लेखा से संबंधित है. इन सब की कुल राशि मिलाकर ₹19703.09 लाख (पिछले वर्ष ₹19034.94 लाख) है जिससे कंपनी ने इन परिसंपत्तियों का अपने खर्च पुख़्ता आदेशों की प्राप्ति व ग्राहकों से प्राप्त निधि में से किया है जिसमें दीर्घावधि अग्रिम तथा अचल विशेष उपस्करों व सामग्री से कंपनी को कोई हानि नहीं है. अतः किसी प्रावधान की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी.साथ ही, समयपूर्व समाप्त संविदाओं के संबंध में कंपनी प्रयोक्ता से संपर्क कर ₹8664.00 लाख की क्षतिपूर्ति की माँग की है जो उपलब्ध अग्रिम समायोजित करने के बाद बनती है. अतः सरकार / प्रयोक्ता से राशि के अंतिम निर्णय के शेष रहते, लाभ लेखा में कोई दावा अथवा प्रभाव दर्ज नहीं किया गया है.

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

(₹ लाख)

28.15 निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दि. 31 जुलाई 2012 को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित वर्ष 2011-12 के लेखाओं का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए परीक्षणानुसार परिशोधन किया गया. इस परिशोधन का प्रभाव निम्नानुसार है :

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
ए)	अन्य आय वृद्धि/(अपवृद्धि)	1825.93	शून्य
बी)	कराधान पूर्व लाभ वृद्धि/(अपवृद्धि)	1825.93	शून्य
सी)	अनुसंधान एवं विकास व्यय वृद्धि/(अपवृद्धि)	(33.67)	शून्य
डी)	चालू देयताएँ वृद्धि/(अपवृद्धि)	(1825.93)	शून्य
ई)	वित्तीय विवरिणिकाओं की अंगभूत अनुसूचियाँ	टिप्पणी 28.14 में अतिरिक्त प्रकटीकरण	शून्य
एफ)	टिप्पणी 16 के लिए शीर्ष	नक़द एवं नक़दतुल्यों के अनुसार आशोधित	शून्य

28.16 पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकताअनुसार पुनर्समूहित या पुनर्व्यवस्थित किया गया है. ऋणात्मक संख्याएँ कोष्ठक में दिखायी गयी हैं.

संलग्न 1 से 28 की टिप्पणियाँ तथा लेखा नीतियाँ लेखाओं के अंगभूत अंश हैं

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप
कृते **डी वी रमण राव ॲण्ड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
पंजीकरण संख्या : 002918S

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एम वी शर्मा
(सदस्यता सं.205313)
भागीदार

एस वी सुब्बाराव
निदेशक (वित्त)

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान: हैदराबाद
दिनांक : 29 अगस्त 2012

स्थान: हैदराबाद
दिनांक : 29 अगस्त 2012

एम लक्ष्मीनारायण
कंपनी सचिव

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नक़द प्राप्ति विवरण

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च 2012		31 मार्च 2011	
ए. परिचालनीय कार्यकलापों से नक़द प्राप्त				
कराधान से पूर्व निवल लाभ तथा असाधारण मदें		34819.22		7916.55
समायोजन :				
मूल्य ह्रास एवं क्रमिक अपाकरण	4561.69		3602.72	
ब्याज से आय	(40349.32)		(10631.37)	
ब्याज से व्यय	19.92		6.77	
कार्यगत पूँजी के परिवर्तनों से पूर्व परिचालनीय लाभ	(948.49)		894.67	
(वृद्धि)/अपवृद्धि विविध देनदारों में	(4324.60)		(1156.69)	
(वृद्धि)/अपवृद्धि सामग्री-सूची में	(10038.00)		6807.20	
(वृद्धि)/अपवृद्धि ऋणों तथा अग्रिमों में				
(अग्रिम कर, उपचित ब्याज छोडकर)	(70867.37)		2754.02	
(वृद्धि)/अपवृद्धि आस्थगित राजस्व व्यय में				
वृद्धि/(अपवृद्धि) विविध देनदारों, देयताओं एवं प्रावधानों में	109874.57		242553.81	
परिचालन से अर्जित नक़द		23696.11		251853.01
प्रदत्त आय कर		(13907.57)		(4048.24)
असाधारण मदों से पूर्व नक़द प्राप्ति		9788.54		247804.77
असाधारण मदों से प्राप्त		--		--
परिचालनीय कार्यकलापों से निवल नक़द (ए)		**9788.54**		**247804.77**
बी. विनियोजन कार्यकलापों से नक़द प्राप्त				
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(14002.94)		(4924.95)	
परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि	50.05		37.99	
प्राप्त ब्याज	33908.89		8150.66	
विनियोजित कार्यकलापों से निवल नक़द (बी)		**19956.00**		**3263.70**
सी. वित्तीय कार्यकलापों से नक़द प्राप्त			(391.19)	
आस्थगित देयताओं का पुनर्भुगतान			380.39	
आस्थगित ऋणों में अपवृद्धि	(19.92)		(6.77)	
प्रदत्त ब्याज	(2300.00)		(2300.00)	
प्रदत्त लाभांश				
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नक़द (सी)		**(2319.92)**		**(2317.57)**
निवल वद्धि/(अपवृद्धि) नक़द तथा नक़द तुल्यों में		**27424.62**		**248750.90**
वर्ष के प्रारंभ में नक़द एवं नक़द तुल्य		**402083.36**		**153332.46**
वर्ष के अंत में नक़द एवं नक़द तुल्य		**429507.98**		**402083.36**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप
कृते **डी वी रमण राव ॲण्ड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
पंजीकरण संख्या : 002918S

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एम वी शर्मा
(सदस्यता सं.205313)
भागीदार

एस वी सुब्बाराव
निदेशक (वित्त)

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थानः हैदराबाद
दिनांक : 29 अगस्त 2012

स्थानः हैदराबाद
दिनांक : 29 अगस्त 2012

एम लक्ष्मीनारायण
कंपनी सचिव

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
भारत डायनामिक्स लिमिटेड,
हैदराबाद.

1. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए परीक्षणानुसार निदेशक मंडल द्वारा 13 जुलाई 2012 को स्वीकृत लेखाओं का परिशोधन किया गया है. परीशोधन का प्रभाव टिप्पणी संख्या 28.15 लेखाओं के अंगभूत अंशों में प्रस्तुत है. यह रिपोर्ट हमारी 13 जुलाई 2012 की पिछली रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है. इस रिपोर्ट का परिशोधन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए परीक्षणों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुच्छेद 4 एवं 5 (एफ) में सम्मिलित करने के लिए किया गया है.

2. हमने **भारत डायनामिक्स लिमिटेड** के 31 मार्च, 2012 तक के तुलन-पत्र तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के संलग्नित लाभ-हानि लेखों तथा नक़द प्राप्ति विवरण की लेखापरीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणिकाओं का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है तथा इन विवरणिकाओं पर लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय देना हमारी जिम्मेदारी है.

3. हमने लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की है. इन मानकों में अपेक्षित होता है कि हम लेखापरीक्षा की योजना तथा कार्यनिष्पादन से उचित आश्वासन कायम कर सकें कि ये वित्तीय विवरणिकाएँ वास्तविक अकथनों से मुक्त हैं. लेखा परीक्षा में राशि तथा वित्तीय विवरणिकाओं के प्रकटीकरण के समर्थित साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जाँच शामिल होती है तथा इसमें प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों के मूल्यांकन व प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ समग्र वित्तीय प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्रकट किये जाने वाले मत लेखा-परीक्षा आधारित होंगे.

4. भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 277 के उप खण्ड 4 (अ) के अनुबंधों के अनुसार विनिर्माता एवं अन्य कंपनियों के (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2003 की अपेक्षानुसार आदेश के परिच्छेद 4 तथा 5 में इस विषय पर निर्दिष्ट हमारा विवरण अनुलग्नक के साथ संलग्न है.

5. उपर्युक्त विषय से संबंधित अनुलग्न में की गयी टिप्पणियों के अलावा कथन है कि :

   ए) लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक सभी स्पष्टीकरण व सूचनाएँ हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार प्राप्त कर ली गयीं.

   बी) हमारी राय में बही खातों के परीक्षण से विदित होता है कि कंपनी ने लेखा-बही विधि अनुरूप रखी है.

   सी) इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा नक़द प्राप्ति विवरण लेखा-पुस्तकों के अनुसार हैं.

   डी) हमारी राय में, उद्धृत लेखा मानकों के पैरा 3

(एफ) (आइ) को छोड़कर इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा, नक़द प्राप्त विवरणिकाएँ कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा 3 (सी) के लेखा मानकों के अनुरूप रखे गये हैं.

ई) विधि, न्याय एवं कंपनी मामलों के मंत्रालय के कंपनी मामलों के सामान्य परिपत्र सं.8/2002, दिनांक 22 मार्च 2002 के अनुसार सरकारी कंपनियों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं. अत: किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है.

एफ) हमारी राय में तथा हमें प्राप्त जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पढ़े जाएँगे जो निम्नांकित होंगे.

i) टिप्पणी सं-28.07 से संदर्भित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ए) में आवश्यक गैर-प्रकटन लेखा नीति मानक एएस 17 द्वारा माँगी गयी सूचना. यद्यपि, इससे चालू वर्ष के लाभ-हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आवश्यक सूचना जिस रूप में दी जानी आवश्यक हो तथा भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य व स्पष्ट विचार दें :

i) जहाँ तक दिनांक 31 मार्च, 2012 के अब तक के कंपनी-कार्यों से संबंधित तुलन-पत्र का संबंध है.

ii) जहाँ तक इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ-हानि लेखे और लाभ का संबंध है तथा

iii) जहाँ तक इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की नक़द प्राप्ति, नक़द प्राप्ति विवरण का संबंध है.

कृते डी वी रमण राव अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
पंजीकरण संख्या 002918S

एम वी शर्मा
(सदस्यता सं. 205213)
भागीदार

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 29 अगस्त 2012

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के उपर्युक्त अनुच्छेद-4 के संबंध में उद्धृत

I) ए) कंपनी ने आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया है जिसमें पूर्ण विवरणों के साथ-साथ मात्रात्मक विवरण व स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति भी दर्शायी गयी है.

बी) हमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का सत्यापन सावधिक एवं चरणबद्ध रूप से किया गया जो कंपनी के विस्तार और परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए ठीक है. ऐसे सत्यापन में सामग्री संबंधी कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं हुई.

सी) हमारे विचार में वर्ष के दौरान कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों के किसी बड़े भाग को बेचा नहीं है और इससे कंपनी की कारोबारी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

ii) ए) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन ने सामग्री सूचियों का नियमित अंतराल से प्रत्यक्ष सत्यापन किया है. हमारे विचार से ये सत्यापन कंपनी के विस्तार और संव्यवहार की दृष्टि से पर्याप्त अंतरालों पर किये गये हैं.

अन्य पार्टियों के पास पड़ी सामग्री के संबंध में कंपनी द्वारा ऐसे भण्डार के संबंध में पुष्टियाँ प्राप्त की और इन प्रत्युत्तरों के आधार पर, जहाँ भी प्राप्ति हुई हो, मिलान / प्रावधान / समायोजन किये गए.

बी) हमारे विचार से और हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार सामग्री सूचियन के प्रत्यक्ष सत्यापन की जो पद्धति प्रबंधन ने अपनाई है वह कंपनी के आकार और संव्यवहार की दृष्टि से उचित है.

सी) कंपनी ने सामग्री सत्यापन के समुचित अभिलेखों का रखरखाव किया है. हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा अभिलेखों के साथ भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर कुछ अंतर पाया गया. उपर्युक्त कमियों का बकाया आमेलन इन कमियों / आधिक्य को स्टॉक समायोजन में दिखाया गया है जिसे अंततः विधिवत् मिलान के बाद बट्टे खाते / वापसी में डाला जाएगा. इसके अलावा स्टॉक की प्रत्यक्ष जाँच के दौरान उपर्युक्त में से बुक रिकार्ड अनुसार कोई भी कमी नहीं पायी गयी.

iii) ए) हमें बताया गया है कि कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन पंजी में सूचीबद्ध फर्म या पार्टियों से न तो ऋण लिया है और न ही किसी को ऋण दिया है.

बी) हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने जिन पार्टियों को अग्रिम के रूप में ऋण दिया है वे अनुबंध के आधार पर मूल धन और जहाँ कहीं ब्याज लागू हो, नियमित रूप से दे रहे हैं.

iv) हमारे विचार से और हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास अपने आकार और संव्यवहार की प्रकृति के अनुरूप सामग्री की खरीद, स्थायी परिसंपत्तियों और उत्पाद की बिक्री के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया व्यवहृत है.

v) ए) हमारे विचार से और हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी भी संविदा या अनुबंध के अनुसरण में कोई

संव्यवहार अथवा व्यवस्थाएं नहीं की हैं जिनकी प्रविष्टि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखी पंजी में की जानी आवश्यक होती है.

बी) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखी जानी वाली पंजी में वर्ष के दौरान किसी भी पार्टी के नाम पर ₹5,00,000/- या अधिक का संव्यवहार प्रविष्टित नहीं किया गया है.

vi) कंपनी ने जनता से किसी भी प्रकार का निक्षेप स्वीकार नहीं किया है.

vii) हमारी राय में, कंपनी के विस्तार और संव्यवहार के समनुरूप लेखा प्रणाली व्यवहृत है.

viii) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार ने कंपनी द्वारा विनिर्मित उत्पादों के लिए लागत अभिलेखों का रखरखाव विहित नहीं किया है.

ix) ए) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा कराया जाता है. हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2012 तक 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए देयता की तारीख से किसी भी प्रकार की उपर्युक्त अविवादित राशि का भुगतान बकाया नहीं है.

बी) ₹ 8846.05/- लाख की विवादित सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास मामले लंबित होने के कारण जमा नहीं की गयी है. इनका विवरण इस प्रकार है :

क्र सं.	संविधि का नाम	बकाया राशि का प्रकार	किस फोरम के पास मामला लंबित है	(₹ लाख)
1.	सी.एस.टी. अधिनियम	सी.एस.टी	आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	1462.67
2.	सी.एस.टी अधिनियम	सी.एस.टी	आंध्र प्रदेश बिक्री कर अपीली न्यायाधिकरण	7055.91
3.	सी.एस.टी अधिनियम	सी.एस.टी	डी सी, चारमीनार हैदराबाद	284.36
4.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा शुल्क	सीमा शुल्क आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर, हैदराबाद II	43.11
			कुल	**8846.05**

X) हमारे द्वारा जिस वित्तीय वर्ष का लेखा-परीक्षण किया गया है या उसके तुरंत पहले वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को कोई घाटा नहीं हुआ है और न ही कंपनी ने किसी प्रकार की नक़दी गँवायी है.

xi) हमारी राय में और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी भी वित्तीय संगठन या बैंक को राशि लौटाने में कोई चूक नहीं की है.

xii) हमारी राय में और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयर प्रतिभूति बंधक कर के आधार पर किसी भी प्रकार के ऋण या अग्रिमों का अनुदान नहीं किया है.

xiii) हमारी राय में यह कंपनी कोई चिटफंड, निधि या परस्पर लाभ-निधि संस्था नहीं है. अतः इस पर कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 की धारा 4 (xiii) लागू नहीं है.

xiv) कंपनी किसी प्रकार के शेयरों की खरीद-फरोख्त, प्रतिभूति, डिबेंचर और अन्य किसी प्रकार के निवेश नहीं करती है.

xv) कंपनी ने कोई मियादी ऋण नहीं लिये हैं.

xvi) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी अल्पावधि आधार पर कोई राशि नहीं ली और न ही इसे किसी दीर्घकालीन निवेश में लगाया है. साथ ही, कोई दीर्घकालीन ऋण भी नहीं लिया है.

xvii) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये बही में सूचित किसी भी कंपनी, फर्म या निजी पार्टी को अधिमान्यता के आधार पर शेयरों का आबंटन नहीं किया है.

xviii) कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किए.

xix) कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के जरिये किसी भी प्रकार की राशि नहीं जुटायी है.

xx) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार इस वर्ष के दौरान कंपनी को या कंपनी द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं है.

कृते डी वी रमण राव ॲण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टण्ट्स
पंजीकरण संख्या 002918S

एम वी शर्मा
(सदस्यता सं. 205213)
भागीदार

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 29 अगस्त 2012

कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग 217 (3) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों का निरीक्षण तथा कंपनी द्वारा दिए गए समाधान

लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में	लेखापरीक्षकों के निरीक्षण	कंपनी द्वारा समाधान
3 (एफ) (i)	कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211/(3ए) के अंतर्गत सेगमेंट रिपोर्टिंग के लेखा मानक एएस 17 के अनुरूप आवश्यक सूचना के प्रकटीकरण की टिप्पणी 28.07.	प्रकटीकरण की संवेदनशीलता तथा संव्यवहार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया है कि सेगमेंट रिपोर्टिंग के संबंध में लेखा-मानक 17 के अनुसार आवश्यक सूचना विवेकशीलता से कंपनी लेखाओं के वित्तीय विवरणिकाओं में प्रकट न की जाए. इस संबंध में वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणी 28.07 में प्रकटीकरण किया गया है.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

एस एन मंथा
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

एस वी सुब्बाराव
निदेशक (वित्त)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

सत्यमेव जयते

सं / No. Insp/BDL-Accts(2011-12)/12-13/264
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूर - 560 001.

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and Ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BANGALORE - 560 001.

दिनांक / DATE : 30.8.2012

सेवा में,

श्री एस एन मंथा,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड,
पोस्ट ऑफीस : कंचनबाग,
हैदराबाद - 500 058.

महोदय,

विषय : कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ.

मैं, 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए **मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद** के लेखाओं की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी **शून्य टिप्पणियाँ प्रमाण-पत्र** अग्रेषित करता हूँ.

यह सुनिश्चित किया जाए कि टिप्पणियाँ :

(i) बिना किसी संस्करण के संपूर्णत : मुद्रित किया जाए ;

(ii) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(5) के अनुसार ए जी एम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए. तथा

(iii) वार्षिक रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के बाद रखा जाए और अनुक्रमणिका में इसे उचित रूप से दर्शाया जाए.

कृपया पत्र की पावती दें.

भ व दी य,

(सी एच खारशींग, आई ए ए एस)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

संलग्नक : यथोपरि

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
पहला तल, बसवा भवन, श्री बसवेश्वरा रोड, बेंगलूर - 560 001.
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basaveswara Road, Bangalore - 560 001.
दू. भा / Phone: 2226 7646 / 2226 1168
E-mail : mabblr@giasbg01.vsnl.net.in
तार / Telegram : DIRCOMIT
फैक्स / Fax : 080-2226 2491

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओं की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ.

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय अभिलेखन रूपरेखा के अनुपालन में 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व उद्यम के प्रबंधन का है. इन वित्तीय विवरणों पर राय देने का उत्तरदायित्व कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का है जो इस अधिनियम की धारा 227 के अंतर्गत पेशेवर निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुपालन में की गयी स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित होगी. लगता है उनकी दिनांक 29.8.2012 की परिवर्द्धित रिपोर्ट तथा दि. 13.7.2012 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार यह दी जा चुकी है.

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3)(बी) के अंतर्गत मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है. यह लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षा के कार्य पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी जो प्राथमिकतः सांविधिक लेखापरीक्षा की पड़ताल और उद्यम के कार्मिकों तथा कुछ चुने हुए लेखा अभिलेखों की परीक्षा तक सीमित है. टिप्पणी सं. 28.14 एवं 28.15 के तहत लेखाओं की अंगभूत टिप्पणियों में सूचित अनुसार प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणिकाओं में किए गए संशोधन तथा अनुच्छेद 4 एवं 5(एफ) के तहत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए संशोधन, जिसे अनुपूरक लेखारीक्षा के दौरान प्रमुखता दी गई, को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट / अनुपूरक रिपोर्ट पर कुछ भी टिप्पणी करने योग्य नहीं पाया गया.

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक की ओर से

(सी एच खारशींग, आई ए ए एस)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, बैंगलूर.

स्थान : बैंगलूर
दिनांक : 30 अगस्त 2012